आंकिक मुद्रा प्रणाली

(Digital Currency System)

(भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य आर्थिक-अनार्थिक अपराधों का त्वरित, शीघ्र, सरल एवं सुनिश्चित समाधान)

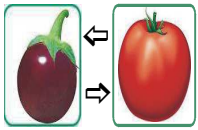

वस्तुमुद्रा ⇨ धातुमुद्रा ⇨ कागजीमुद्रा ⇨ अंकमुद्रा

अंकमुद्रा चलाओ!
समस्त मौद्रिक समस्याओं से छुटकारा पाओ!!

लेखक

श्री अरविन्द 'अंकुर'

न्यायधर्मसभा

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल)

फोन : 01334 - 244760, मोबाइल : 09319360554

वेबसाइट : www.nyayadharmsabha.org

ईमेल : info@nyayadharmsabha.org

आंकिक मुद्रा प्रणाली

(Digital Currency System)

वर्तमान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए वरदान

(A Boon to Present National Economies of the World)

मौद्रिक अपराधों के नियन्त्रण हेतु जादू की छड़ी

(A Magic Stick For Controlling of Monetary Crimes)

आंकिक मुद्रा प्रणाली द्वारा निम्न समस्याओं का सुनिश्चित समाधान

१. भ्रष्टाचार *(Corruption)*

२. कालाधन *(Black Money)*

३. नकलीमुद्रा *(Fake Currency)*

४. टैक्सचोरी *(Tax Loss)*

५. अन्य मौद्रिक अपराध *(Other Monetary Crimes)*

भूमिका

यह पुस्तिका 'न्यायशील अर्थशास्त्र' में वर्णित ***'अंकमुद्रा प्रणाली'*** *को राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से लिखी गयी है। 'अंकमुद्रा' अन्य प्रकार की किसी भी मुद्रा से श्रेष्ठ है। एक सुशिक्षित, सभ्य एवं विकसित समाज या राष्ट्र में अंकमुद्राप्रणाली सहज ही अपनायी जा सकती है। अंकमुद्रा का प्रचालन बिल्कुल सरल, सहज, सुगम एवं सस्ता है। यह प्रणाली राष्ट्र में मौद्रिक व्यवहार को सद्गति प्रदान करने में सक्षम है।*

अशिक्षित और असभ्य समाज में जहाँ मनुष्य की मानसिक क्षमताएँ एवं उसकी कल्पनाशीलता प्रकाशमान नहीं रहती, वहाँ पर मुद्रा की परिकल्पना भी संभव नहीं होती। अतः उन्हें वस्तुविनिमय प्रणाली पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मानसिक विकास के विना मनी या मुद्रा की परिकल्पना एवं परिचालन संभव नहीं है। मुद्रा समस्त स्थूल संसाधनों का विकल्प है। यह विकल्प समस्त प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाता है। मौद्रिक विकल्प के विना आर्थिक व्यवहार कठिन होने के साथ-साथ गतिहीन भी बना रहता है। प्रबुद्ध सभ्यता में इस मुद्रारूपी विकल्प का आविष्कार स्वतः हो जाता है और जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धिमत्ता एवं प्रतिभा बढ़ती है, वैसे-वैसे मुद्रा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। प्राथमिक रूप से स्थूलबुद्धि के द्वारा असभ्य समाज में आर्थिक व्यवहार के लिए वस्तुविनिमय प्रणाली अपनायी जाती है। बुद्धिमत्ता प्रखर होने पर धातुमुद्रा का आविष्कार होने लगता है। वस्तु के बदले वस्तु देने के स्थान पर किसी मूल्यवान धातु को विकल्प के रूप में अपनाया जाता है, तथा सममूल्यवाली धातु देकर किसी वस्तु के क्रय-बिक्रय का प्रयास किया जाता है। किन्तु किसी धातु का मूल्य कभी स्थाई न होने के कारण उसके मूल्यों के उच्चावचन से मुद्राप्रचालन में कठिनाई आती है। अतः अधिक प्रखरबुद्धि इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करती है और उसके बदले में वचनपत्रों का प्रयोग राज्य की ओर से किसी विश्वसनीय पदाधिकारी के नाम से प्रचालित किया जाता है। राजकीय पद की विश्वसनीयता के कारण यह वचनपत्र जनमानस को स्वीकार्य हो जाता है। परिणामस्वरूप वचनपत्र के रूप में कागजीमुद्रा का आविष्कार होता है। किन्तु इस कागजीमुद्रा के प्रचालन में भी छापना, ढोना, गिनना, गुमना, कटना, फटना, गलना, चोरी होना आदि अनेक प्रकार की समस्याएँ सामने आती हैं, जो सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र को भुगतनी पड़ती हैं। फलस्वरूप मानवी प्रतिभा इस कागजीमुद्रा का भी सूक्ष्मीकरण करना चाहती है। इसप्रकार वस्तुमुद्रा से धातुमुद्रा, धातुमुद्रा से कागजीमुद्रा (वचनपत्र), कागजीमुद्रा से अंकमुद्रा तक मौद्रिकविकास की यात्रा पहुँचती है। मुद्राप्रचालन की आंकिक प्रणाली को अत्यन्तिम मौद्रिक आविष्कार कहा जा सकता है, क्योंकि यह परमसूक्ष्म है और समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्त है। अंकमुद्रा परम विकल्प है, जिसके द्वारा आर्थिक व्यवहार अत्यन्तिम रूप से सरल, सहज, सुगम एवं सस्ता सिद्ध होता है। यह अंकमुद्रा किसी भी मनुष्य को सहज ही स्वीकार्य होती है। अंकमुद्राप्रणाली सर्वथा निर्दोष है। इसमें किसी भी प्रकार के संकट उत्पन्न नहीं हो सकते, यदि इसे निष्ठापूर्वक संचालित किया जाए।

अंकमुद्राप्रणाली के प्रतिपादन हेतु लिखित यह पुस्तिका संक्षिप्त होते हुए भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार के मौद्रिक दोषों, संकटों एवं समस्याओं से मुक्ति

*प्रदान करने में सक्षम है। इसे पढ़कर कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति यह समझ सकता है कि अंकमुद्राप्रणाली का दूसरा कोई मौद्रिक विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए आंकिक मुद्रा प्रणाली को मुद्राप्रचालन का सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा गया है। वर्तमान इलेक्ट्रानिक युग में जबकि प्रायः समस्त जेबों या हाथों में मोबाइलरूपी इलेक्ट्रानिक डिवाइस पहुँच चुकी है, इस अंकमुद्राप्रणाली (**System of Digital Currency**) को अपनाने में कोई बाधा नहीं है।*

यदि किसी क्षेत्र में यह संचार सेवा सुलभ नहीं करायी जा सकी है, तो सरकार द्वारा इसकी त्वरित व्यवस्था करी जा सकती है। कमजोरवर्ग को छोटी-छोटी सस्ती डिवाइसेस भी, सरकारी व्यय पर सुलभ करायी जा सकती हैं, तथापि उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थानीय दुकानों में स्थापित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से भी सभी लेन-देन किए जा सकते हैं।

इस पुस्तिका में अंकमुद्राप्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इस मुद्राप्रणाली के सभी पक्ष सकारात्मक हैं। इसमें गुणों और लाभों का भण्डार छिपा हुआ है, किन्तु इसमें दोषों और हानियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यद्यपि कुछ मूर्ख और मौद्रिक अपराध में लिप्त कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग इस निर्दोष प्रणाली के विरुद्ध निरर्थक तर्क देने की कुचेष्टा करेंगे। उस पर प्रबुद्धजनों को ध्यान नहीं देना चाहिए।

सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यह प्रणाली शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की अनुशंसा 'लेखक' द्वारा करी जा रही है। लेखक स्वतः सुशिक्षित, कुशल अर्थशास्त्री, सार्वजनिक, सामाजिक एवं सार्वभौमिक हितों में विगत 22 वर्षों से कार्यरत, 100 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक एवं कई सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के संस्थापक एवं मार्गदर्शक हैं। अतः उनकी ओर से भारत राष्ट्र एवं .विश्व के अन्य राष्ट्रों से अपील है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस आंकिक मुद्रा प्रणाली को लागू करके अपने राष्ट्र एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएँ। अतः भारतसहित सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों को अपनी मौद्रिकनीति पर पुनर्विचार करते हुए, इस अंकमुद्राप्रणाली को स्वीकार करके अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुसभ्यता, समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जाना चाहिए। यह प्रणाली किसी भी राष्ट्र के आर्थिक व्यवहारों को सरल, सहज एवं सुरक्षित बनाकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है तथा उसके आर्थिक विकास की समस्त संभावनाओं को साकार करके आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाती है। मौद्रिक नीति में यह साधारण संशोधन सम्पूर्ण राष्ट्र को अपराधमुक्त, सुसभ्य, सुखी एवं धन्य बना सकता है, तथा भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों को पूर्णतः उन्मूलन करके यह 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' अपनी महत्ता को सिद्ध कर सकती है, और यह सुनिश्चित रूप से शुभ परिणाम प्रस्तुत करके अपने महत्त्व को स्वयं प्रमाणित कर देगी। राष्ट्रीय सरकार इसे लागू करके देखे, यह मौद्रिक नीति चमत्कारिक परिणाम प्रस्तुत करनेवाली है।

दिनांक : 15 फरवरी, 2010 – *लेखक*

'अरविन्द अंकुर'

न्यायधर्मसभा
जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार

आंकिक मुद्रा प्रणाली

(Digital Currency System)

'मुद्रा' का परिचय **(Introduction of Currency)** *:– यथार्थतः मुद्रा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए–*

1) ***''राज्य की ओर से निगमित की जानेवाली धन की प्रतीकात्मक इकाई को 'मुद्रा' कहते हैं।''***

2) ***''शासन की ओर से निर्धारित राज्याधिकारी द्वारा जनता के बीच समस्त आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन एवं प्रतिस्थापन हेतु प्रचालित की जानेवाली धन की वैकल्पिक व्यवस्था ही 'मुद्रा' के नाम से जानी जाती है।''***

3) ***''वास्तव में ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष धन की इकाई को मुद्रा कहा जा सकता है, जो मुद्रा के कार्य कर सकती है।''***

4) ***''किन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विकल्प जो उनके मूल्यांकन, तरलीकरण एवं विनिमयन का कार्य कर सके, तथा सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को संभव बना सके, वही मुद्रा है।''***

'मुद्रा' के कार्य **(Functions of Currency)** *:– संक्षेप में कहा जाए, तो मुद्रा के मुख्यतः तीन कार्य होते हैं– मूल्यांकन, तरलीकरण, विनिमयन। इन तीनों कार्यों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :–*

1) ***मूल्यांकन*** **(Valuation) :** *वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का आँकलन ही मूल्यांकन कहलाता है, जो मुद्रा का प्रथम कार्य है।*

2) ***तरलीकरण*** **(Liquidization) :** *स्थूल सम्पदाओं का धनराशि के रूप में रूपान्तरण ही तरलीकरण कहलाता है, जो मुद्रा का द्वितीय कार्य है।*

3) ***विनिमयन*** **(Exchange) :** *वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय–बिक्रय ही विनिमयन कहलाता है, जो मुद्रा का तृतीय कार्य है।*

'मुद्रा' का मूल्य **(Value of Currency)** *:– मुद्रा का मूल्यनिर्धारण निम्नलिखित दो रूपों में किया जाता है :–*

1) ***वस्तुगत मूल्य :*** *मुद्रा के 'वस्तुगत मूल्य' का अभिप्राय उस सामग्री के मूल्य से है, जिसका प्रयोग मुद्रा के निर्माण में किया जाता है। यदि मुद्रा स्वर्णधातु से निर्मित हो, तो जितना स्वर्ण किसी मुद्रा के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है, उसके मूल्य को ही मुद्रा का वस्तुगत मूल्य माना जा सकता है। मुद्रा के वस्तुगत मूल्य की आवश्यकता तब होती है, जब मुद्रा जारी करने के लिए कोई प्रतिभूति का प्रयोग न किया जाता हो। अतः प्रातिभूतिक मुद्रा के लिए वस्तुगत मूल्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिभूति के अन्तर्गत सरकारी वचन, मूल्यवान धातु अथवा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति का समावेश हो सकता है।*

2) ***मौद्रिक मूल्य :*** *मुद्रा के 'मौद्रिक मूल्य' का अभिप्राय मुद्रा की उस क्रयशक्ति से है, जिसके द्वारा मुद्रा किसी वस्तु को क्रय कर सकती है। किसी मुद्रा के प्रतिस्थापन में कितनी मात्रा में कोई वस्तु अथवा सेवा प्राप्त हो सकती है, वही उस मुद्रा की क्रयशक्ति कहलाती है। जैसे– मुद्रा की एक घोषित इकाई के द्वारा यदि बाजार में एक ग्राम स्वर्ण क्रय किया जा सकता है, तो यह एक ग्राम स्वर्ण की मात्रा ही उस मुद्रा की क्रयशक्ति कहलाएगी तथा इसे ही उस मुद्रा का मौद्रिक मूल्य माना जा सकता है।*

'मुद्रा' के प्रकार **(Types of Currency)** *:– आर्थिक व्यवहार में किसी भी मूल्यवान वस्तु का मूल्यांकन करनेवाली मुद्रा सामान्यतः निम्नलिखित चार प्रकार की हो सकती है :–*

1) ***वस्तुमुद्रा*** **(Commodity Currency) :** *वस्तुविनिमय प्रणाली के अन्तर्गत बाजार में किसी वस्तु के मूल्य भुगतान के वैकल्पिक साधन के लिए कोई अन्य वस्तु ही मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे– बैगन देकर टमाटर और टमाटर देकर बैगन की प्राप्ति। इसमें बैगन और टमाटर दोनों ही एक–दूसरे को क्रय करने हेतु मुद्रा के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह अत्यन्त विमूढ़ प्रणाली है।*

2) ***धातुमुद्रा*** **(Metal Currency) :** *किसी मूल्यवान धातु को सिक्कों के रूप में ढालकर जो मौद्रिक विकल्प प्राप्त होता है, उसे 'धातुमुद्रा' कहते हैं। यह किसी भी वस्तु को क्रय करने हेतु मुद्रा के रूप में कार्य कर सकती है, क्योंकि यह सभी वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य हो सकती है। अतः वस्तुमुद्रा से यह धातुमुद्रा अधिक श्रेष्ठ है। किन्तु यह प्रचलन में अनेक दोषों वाली होती है।*

3) ***कागजीमुद्रा*** **(Paper Currency) :** *किसी कागज को वचनपत्र के रूप में प्रयुक्त करने पर वह कागजीमुद्रा के नाम से जानी जाती है। इसमें कागज का मूल्य नहीं, बल्कि कागज पर वचनदाता द्वारा दिए गए वचन का ही मूल्य होता है। इसे 'गारण्टी लेटर' या 'प्रामिजरी नोट' भी कहा जाता है। यह केवल वचन, गारण्टी या प्रतिभूति पर निगमित होने के कारण अपना वस्तुगत मूल्य धारण न करते हुए अथवा अत्यल्प मूल्य धारण करते हुए भी बाजार में स्वीकार्य हो जाती है। अतः इसे धातुमुद्रा से अधिक सरल एवं श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कागजीमुद्रा धीरे–धीरे धातुमुद्रा को चलन से बाहर करती जा रही है।*

4) ***अंकमुद्रा*** **(Digital Currency) :** *केवल अंको की लेखापद्धति पर आधारित मुद्रा ही 'अंकमुद्रा' कहलाती है। इस पद्धति के लिए सभी प्रयोक्ताओं का एक लेखा (**Account**) किसी अधिकोषालय (**Bank**) में होना आवश्यक है। अंकमुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह वस्तुमुद्रा, धातुमुद्रा एवं कागजीमुद्रा की समस्त समस्याओं से मुक्त है। अंकमुद्रा का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं होता, बल्कि बैंकखातों में लिखे गए अंक ही मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। अतः अंकमुद्रा छापने, ढालने, ढोने, गिनने, रखने, सँभालने आदि के व्ययों, संकटों, हानियों, भयों आदि से मुक्त है।*

❁❁❁

'अंकमुद्रा' का परिचय ***(Introduction of Digital Currency)*** *:– किसी भी आर्थिक व्यवहार के लिए वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होनेवाली मुद्रा के आंकिक स्वरूप को 'अंकमुद्रा' कहते हैं। जो केवल अंकलेखन की प्रक्रिया द्वारा प्रचालित होती है। किसी भी वस्तु के विकल्प के रूप में यह अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। जबकि अन्य मौद्रिक प्रणालियों में मुद्रा का प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। वस्तुविनिमय प्रणाली में भी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु मुद्रा की ही भूमिका निभाती है। इसीप्रकार धातुमुद्रा अथवा कागजीमुद्रा की प्रणालियों में भी धातु के सिक्के अथवा कागज के नोट प्रत्यक्ष रूप से प्रचलित होते हैं। किन्तु अंकमुद्रा प्रणाली में मुद्रा का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं होता, बल्कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक चाहे वह व्यक्ति हो अथवा संस्था, वह किसी अधिकोष (**Bank**) का लेखाधारक (**Accountholder**) होता है। इसी लेखे (**Account**) द्वारा समस्त मौद्रिक लेन–देन सहजतापूर्वक संभव होते हैं। इसके लिए दो प्रकार की लेखापद्धतियाँ अपनायी जा सकती हैं– सामान्य लेखापद्धति एवं इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति। वर्तमान विश्व में इलेक्ट्रानिक युग का आविर्भाव हुआ है, जिससे अब अंकमुद्रा की इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति सहज ही अपनायी जा सकती है।*

'अंकमुद्रा' की परिभाषा ***(Definition of Digital Currency)*** *:– अंकमुद्रा की एक संक्षिप्त परिभाषा इसप्रकार से दी जा सकती है–* ***'अंकलेखापद्धति द्वारा प्रचालित मुद्रा को अंकमुद्रा कहते हैं, जिसमें किसी प्रत्यक्ष मुद्रा का अस्तित्व नहीं होता।'***

'अंकमुद्रा' का स्वरूप ***(Form of Digital Currency)*** *:– अंकमुद्रा का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप कभी प्रकट नहीं होता, बल्कि यह अंकों की संलेखन पद्धति पर आधारित होती है। एक मौद्रिक इकाई गणित का एक अंक मात्र होती है। इस मुद्रा के प्रयोक्ताओं को कभी इसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। यह मुद्रा न स्थूल होती है, न सूक्ष्म होती है, बल्कि यह एक विशुद्ध काल्पनिक अस्तित्व धारण करती है। वैसे भी मुद्रा सभी स्थूल–सूक्ष्म, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष वस्तुओं अथवा साधनों का विकल्पमात्र है। अतः इस विकल्प का कोई काल्पनिक स्वरूप ही प्रचलित हो सकता है, वास्तविक नहीं।*

'अंकमुद्रा' की विशेषताएँ ***(Characteristics of Digital Currency)*** *:– अंकमुद्रा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–*

1) ***अदृश्य सत्ता :*** *अंकमुद्रा एक काल्पनिक तत्त्व है, जिसका कोई प्रकट अस्तित्व नहीं होता। अंकमुद्रा की सत्ता अदृश्य होती है। इसे कभी देखा नहीं जा सकता। यह गणितीय नियमों के आधार पर गतिमान रहती है।*

2) ***प्रातिभूतिक मुद्रा :*** *अंकमुद्रा का कोई स्थूल अस्तित्व न होने के कारण यह अपना कोई वस्तुगत मूल्य धारण नहीं करती। अतः बाजार में इसकी स्वीकार्यता के लिए इसका निगमन स्थूल सम्पदाओं के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूतियों के आधार पर किया जाता है। अंकमुद्रा की मान्य मूल्यवत्ता के समकक्ष प्रतिभूति को प्रतिष्ठित करके*

अंकमुद्रा का निगमन किया जाता है। अतः इसे प्रातिभूतिक मुद्रा कहते हैं। प्रतिभूति के समकक्ष ही इसका मौद्रिक मूल्य ठहराया जाता है। अतः प्रातिभूतिक मुद्रा के रूप में यह एक विशेष स्थान धारण करती है।

3) ***लेखांकित अस्तित्व :*** *अंकमुद्रा का कोई स्थूल या प्रत्यक्ष अस्तित्व न होने के कारण इसका निगमन एवं प्रचालन लेखांकित रूप से किया जाता है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक लेखा या खाता किसी बैंक में खोलना होता है। उस खाते में ही उसके द्वारा उपार्जित किए गए धन को लेखांकित किया जाता है। अतः अंकमुद्रा उसके खाते में लिखे हुए गणितीय अंकों के रूप में दर्ज रहती है। इस खाते में लेखांकित धनराशि के आधार पर ही लेखाधारक मुद्रा का उपयोग करता है।*

4) ***निर्व्यय निगमन :*** *अंकमुद्रा को जारी करने के लिए किसी व्यय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी सत्ता अदृश्य होती है। इसके लिए किसी धातु या कागज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे इसकी ढलाई, छपाई, ढुलाई एवं रख-रखाव आदि पर किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता। खातों के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक लेन-देन सम्पन्न किया जाता है। दूरसंचार एवं इण्टरनेट की भूमिका से अंकमुद्रा का प्रचालन बिल्कुल सरल हो जाता है। इसलिए आंकिक मुद्रा प्रणाली को निर्व्यय प्रणाली कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की मुद्राएँ अत्यन्त खर्चीली अथवा अपव्ययी हैं।*

5) ***निर्भय स्वामित्व :*** *अंकमुद्रा को धारण करनेवाला कोई भी व्यक्ति इसके गिरने, छिनने, लुटने, गुमने, खोने, कटने, फटने, जलने, गलने आदि के कारण भयभीत नहीं होता, क्योंकि अंकमुद्रा का कोई स्थूल अस्तित्व नहीं होता, जिसे किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाई जा सके। यदि किसी लेखाधारक के खाते से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दुर्वृत्तिपूर्वक किसी धनराशि की मात्रा का किसी भी प्रकार से अपहरण किया जाता है, तो वह तुरन्त ट्रेसेबल होता है। अतः अंकमुद्रा के प्रचालन से मौद्रिक धन धारण करनेवाले लोग धनहानि की आशंका से कभी भयभीत नहीं होते। अतः निर्भय स्वामित्व को अंकमुद्रा की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है।*

6) ***पारदर्शी व्यवहार :*** *अंकमुद्रा के समस्त आर्थिक लेन-देन व्यवहार पारदर्शी होते हैं, क्योंकि अंकमुद्रा केवल लेखांकन पद्धति द्वारा ही प्रचालित होती है। मुद्रा की प्रत्येक इकाई का आदान-प्रदान क्रेडिट या डेबिट के रूप में बैंकखातों में दर्ज रहता है। अतः सम्पूर्ण आर्थिक व्यवहार की पारदर्शिता सदैव बनी रहती है। एक मुद्रा भी छिपाकर इधर से उधर नहीं करी जा सकती। व्यावहारिक पारदर्शिता के कारण अंकमुद्रा अन्य सभी मौद्रिक प्रणालियों की तुलना में अपना एक विशेष स्थान रखती है। आंकिक मुद्रा प्रणाली वास्तव में अतुलनीय एवं सर्वश्रेष्ठ है।*

'अंकमुद्रा' प्रचालन पद्धति ***(Digital Currency Operating System)*** *:- अंकमुद्रा का प्रचालन किसी राजकीय अधिकोष बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें सभी व्यक्तियों का लेखा या खाता या एकाउंट रखा जाना आवश्यक होता है। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच सभी मौद्रिक लेन-देन एक लेखे से दूसरे लेखे में अंकों की लेखापद्धति द्वारा सम्पन्न होते हैं।*

'अंकमुद्रा' प्रचालन पद्धति के रूप ***(Forms of Digital Currency Operating System)*** *:– यह अंकमुद्रा प्रचालनपद्धति निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है :–*

1) ***सामान्य लेखापद्धति*** ***(General Accounting Method) :*** *अंकमुद्रा प्रचालन की सामान्य लेखापद्धति में सभी मौद्रिक व्यवहार एक लेखे से दूसरे लेखे में अंकों के सामान्य लेखांकन पर आधारित होती है। इसमें मनुष्य की मानवीय क्षमताओं का प्रयोग होता है, जिसमें सभी लेखापुस्तकों का निर्माण मानवी प्रयत्नों द्वारा होता है।*

2) ***इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति*** ***(Electronic Accounting Method) :*** *अंकमुद्रा प्रचालन की इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति में सभी मौद्रिक व्यवहार इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर आधारित होते हैं, जो कम्प्यूटर की गणनाशक्ति पर निर्भर रहती है। कम्प्यूटर में मानवी मस्तिष्क के समान ही गणना करने की क्षमता होती है। अतः इस लेखापद्धति में मानवी क्षमताओं का प्रयोग अत्यल्प होता है। अधिकांश कार्य कम्प्यूटरीकृत डिवाइसेस के माध्यम से बहुत ही सरलतापूर्वक सम्पन्न होता है। यह पद्धति वर्तमान युग के लिए वरदान है, क्योंकि इस पद्धति ने संसार की सभी गणनाओं को परम सहज कर दिया है। इसका प्रयोग करने के लिए अधिक मानवी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि अत्यल्प बुद्धि का व्यक्ति भी इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति से अपने सभी मौद्रिक लेन–देन सरलतापूर्वक कर सकता है। आज इस पद्धति का प्रयोग सम्पूर्ण विश्व में तुरन्त संभव है। इलेक्ट्रानिक संचारसेवाएँ लगभग सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो गई हैं। जहाँ पर संचार सेवा नहीं सुलभ है, वहाँ पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा शीघ्र ही सुलभ करायी जा सकती हैं।*

इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति की प्रयोगविधि ***(Utilization Method of Electronic Accounting System)*** *:– इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति बिल्कुल सरल है। इसके लिए कम्प्यूटर, मोबाइल एवं अन्य छोटी–छोटी इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जा सकता है। इन्टरनेट की सुविधा को सर्वसुलभ बनाकर इस इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति का प्रयोग बड़ी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। वर्तमान समय में इण्टरनेट की सुविधाएँ प्रायः सम्पूर्ण विश्व में सुलभ होती जा रही हैं। सम्पूर्ण विश्व एक ही इन्द्रजाल से आबद्ध हो गया है। कोई एक ही राष्ट्र नहीं, बल्कि प्रायः विश्व के सभी राष्ट्र इस सुविधा को उपलब्ध कर चुके हैं। अतः सम्पूर्ण विश्व में एक ही मुद्राप्रणाली के प्रचालन का आज स्वर्णिम अवसर प्रकट हो गया है। अब मौद्रिक एकीकरण वर्तमान का यथार्थ सिद्ध हो सकता है। यदि इस इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति का प्रयोग विश्व के सभी राष्ट्र अपनी प्रतिद्वन्द्विता को छोड़कर सहज भाव से स्वीकार कर सकें, तो यह इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति पर आधारित 'अंकमुद्राप्रणाली' सम्पूर्ण विश्व को एक ही मौद्रिकसूत्र में आबद्ध कर सकती है। इससे* ***'विश्व-बन्धुत्वम्'*** *और* ***'वसुधैव-कुटुम्बकम्'*** *के चिरपुरातन स्वप्न को साकार होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। वैश्विक एकीकरण का यह प्रथम अध्याय होगा।*

मात्र 100 या 200 रुपये में सुलभ होनेवाली छोटी-छोटी इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस बनाकर जो केवल मौद्रिक लेन-देन के कार्य के लिए ही प्रयुक्त हो सकें, इन छोटी इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस को घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइलफोन, टैब, कम्प्यूटर आदि के रुप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा व्यापारिक दुकानों में इलेक्ट्रानिक तराजू आदि के साथ, और घरों एवं कार्यालयों में कम्पयूटर के माध्यम से प्रचालित किया जा सकता है। इसप्रकार से सम्पूर्ण विश्व में यह अंकमुद्रा प्रचालन की इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति अपनायी जा सकती है।

दूरस्थ क्षेत्रों जहाँ पर यह सेवा सुलभ कराना संभव न हो, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक रुपये या छोटे सिक्के का प्रचलन तब तक किया जा सकता है, जब तक कि उनके लिए यह सेवा सुलभ न हो सके। किन्तु जहाँ तक दूरसंचार सेवाएँ सुलभ हैं, वहाँ तक यह इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति तत्काल प्रभाव से लागू की जा सकती है, ताकि मौद्रिक चोरी, डकैती, घूसखोरी, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी आदि की समस्याओं को तुरन्त नियन्त्रित किया जा सके। भारत ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों का भविष्य इस आंकिक मुद्रा प्रणाली के द्वारा शुभ, समृद्ध, सुखद एवं उज्ज्वल हो सकता है।

आंकिकमुद्रा प्रणाली का महत्त्व ***(Importance of Digital Currency System)*** *:- अंकमुद्राप्रचालन के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से भलीभाँति समझा जा सकता है :-*

1) ***संसाधनों का सरलतम विकल्प :*** *अंकमुद्रा किसी भी वस्तु, सेवा, सम्पदा एवं संसाधन का सरलतम विकल्प है। बाजार में क्रय-बिक्रय अथवा किसी भी प्रकार के लेन-देन को यह अंकमुद्रा प्रणाली सर्वाधिक सरल बना देती है।*

2) ***सहज बैंकिंग व्यवस्था :*** *अंकमुद्रा का प्रचालन सम्पूर्ण अधिकोषीय अथवा बैंकिंग व्यवहार को सहज एवं सरल बनाता है। इससे समय, श्रम एवं धन के व्ययों में न्यूनता आती है। इससे बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम अथवा भय भी कम हो जाता है, जिससे बैंकों की कार्यप्रणाली का उत्थान होता है।*

3) ***आर्थिक पारदर्शिता :*** *अंकमुद्रा के प्रचालन से समाज अथवा राष्ट्र में प्रायः सभी आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता आती है। मौद्रिक व्यवहार तो शत-प्रतिशत पारदर्शी हो जाते हैं। अतः अवैध लेन-देन अथवा घूसखोरी अथवा कोई भी मौद्रिक भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अंकमुद्रा प्रणाली में पारदर्शी लेन-देन होने के कारण कोई भी मौद्रिक व्यवहार छिपाकर नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी अनावश्यक मौद्रिक भुगतान अथवा आदान-प्रदान स्वतः रुक जाते हैं। स्पष्ट है कि समाज या राष्ट्र में आर्थिक व्यवहारों को पारदर्शी बनाने में अंकमुद्रा प्रचालन की लेखापद्धति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।*

4) ***अंकेक्षण की सरलता एवं शुद्धता :*** *आंकिक मुद्रा प्रचालन के अन्तर्गत सभी आर्थिक व्यवहार लिखित रुप से दर्ज होने के कारण समस्त वाणिज्यिक अथवा राजकीय लेखापुस्तकों का अंकेक्षणकार्य (**Auditing**) सरल एवं शुद्ध हो जाता है।*

अतः अंकेक्षण की दृष्टि से भी 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है। आर्थिक षड़यन्त्र, घोटाला, घपला, गबन, हेराफेरी जैसी समस्याओं पर सम्पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है।

5) ***निरीक्षण के लिए सुविधाजनक :*** *आर्थिक व्यवहारों में किसी भी प्रकार की चोरी, हेराफेरी, गबन, घपला, घोटाला, लूट, भ्रष्टाचार आदि मौद्रिक अपराधों की जाँच या निरीक्षण इस अंकमुद्रा की लेखापद्धति के द्वारा सहजतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। अतः निरीक्षण में सुविधाजनक होने के कारण यह आंकिकमुद्रा प्रणाली किसी भी राष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि किसी भी आर्थिक अपराध की त्वरित जाँच इस प्रणाली के द्वारा संभव होती है।*

6) ***अपराधों के नियन्त्रण में सहायक :*** *मौद्रिक अपराधों के साथ-साथ सामान्य अपराधों पर भी नियन्त्रण में 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन के लेन-देन आदि के द्वारा बहुत से आपराधिक कृत्य प्रकट होते हैं। आंकिक मुद्रा प्रणाली के कारण धन का लेन-देन पारदर्शी हो जाता है। अतः अपराधियों के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपराध करने से बचने लगते हैं।*

आंकिकमुद्रा प्रणाली के लाभ ***(Advantages of Digital Currency System)*** *:- किसी भी राष्ट्र में अंकमुद्रा प्रचालन के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं :-*

1) ***मुद्रा की निर्व्ययता :*** *आंकिकमुद्रा प्रणाली में मुद्रा को छापने-ढालने आदि में कोई व्यय नहीं होता, क्योंकि अंकमुद्रा का कोई प्रकट रूप नहीं होता। किसी धातु अथवा कागज के रूप में ढालकर या छापकर अंकमुद्रा नहीं चलाई जाती, बल्कि यह केवल गणितीय नियमों पर आधारित होती है, जिसपर किसी व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति स्वतः अपनी इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से स्वतन्त्रतापूर्वक सदैव करता रहता है। मुद्रा के निर्माण पर सरकार को कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता। इसे अंकमुद्रा प्रणाली का प्रथम लाभ कहा जा सकता है।*

2) ***परिवहन की सरलता :*** *अंकमुद्रा का स्वयं कोई भार नहीं होता। यह एक भारविहीन, काल्पनिक तत्त्व है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। अतः इस अंकमुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह अंकमुद्रा बड़ी सरलतापूर्वक विद्युतगति से यात्रा करती है। स्थूलमुद्रा के परिवहन में होनेवाले समय, श्रम एवं धन के व्यय और हानि के भय जैसी कोई समस्या आंकिक मुद्रा प्रणाली में नहीं होती।*

3) ***अक्षय अस्तित्व :*** *अंकमुद्रा का अस्तित्व अक्षय होता है। यह किसी भी प्रकार से जीर्ण, शीर्ण अथवा क्षीण नहीं होती। अंकमुद्रा कटने, फटने, जलने, गलने, गिरने, गुमने, आदि की समस्याओं से सर्वथा मुक्त रहती है। यह परमात्मा की भाँति शाश्वत एवं सनातन है। अंकमुद्रा एक अद्‌भुत माया है, जो ब्रह्म के समान लक्षणों वाली प्रतीत होती है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है-* ***'मुद्रा खुदा नहीं तो खुदा से ये कम नहीं।'*** *यह आंकिक राजमुद्रा ही वास्तविक धनलक्ष्मी है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र को धनी एवं धन्य बनाने में सक्षम है।*

4) ***निर्भय समृद्धि :*** *आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनानेवाले राष्ट्र के किसी भी नागरिक की समृद्धि सदैव निर्भय बनी रहती है, क्योंकि धनसम्पदा कितनी भी मात्रा में धारण करनेवाले समृद्ध जन कभी लुटने-पिटने की आशंका से भयभीत नहीं रहते है। किन्तु अन्य किसी भी प्रणाली में समृद्ध जनों को अनेक प्रकार की सुरक्षा के प्रबन्ध करने पड़ते हैं तथा वे रातोंदिन निरन्तर सशंकित, भयभीत एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। उन्हें मानसिक शान्ति के लिए अनेक प्रकार की आधि ।भौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक उपायों-उपचारों द्वारा मानसिक शान्ति पाने का उद्यम करना पड़ता है और इन उपायों की पाखण्डपूर्ण दुकानें चारों ओर खुल जाती हैं।*

5) ***उपयोग की सरलता :*** *अंकमुद्रा का उपयोग सर्वाधिक सरल है। वर्तमान इलेक्ट्रानिक युग में 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' किसी भी राष्ट्र के लिए ईश्वर का वरदान सिद्ध हो सकती है। इलेक्ट्रानिक लेखापद्धति द्वारा सभी आर्थिक व्यवहार सरलीकृत हो जाते हैं। कोई भी क्रय-बिक्रय अथवा लेन-देन बड़ी सहजतापूर्वक इस प्रणाली के द्वारा सम्पन्न हो सकते हैं। अतः मौद्रिक उपयोग में इस प्रणाली का महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है।*

आंकिकमुद्रा प्रणाली के प्रभाव **(Effects of Digital Currency System)** *:- अंकमुद्रा प्रचालन के दो प्रभाव हो सकते हैं- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। समाज या राष्ट्र पर पड़नेवाले इन दोनों प्रभावों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :-*

क) ***अंकमुद्रा प्रचालन के प्रत्यक्ष प्रभाव*** **(Direct Effects) :** *आंकिक मुद्राप्रणाली अपनाने से समाज या राष्ट्र के आर्थिक व्यवहारों पर निम्नलिखित प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है :-*

1) ***भ्रष्टाचार की समाप्ति*** **(Removal of Corruption) :** *अंकमुद्रा प्रचालन से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में आर्थिक भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाता है। किसी भी आर्थिक व्यवहार में जहाँ मौद्रिक लेन-देन प्रयुक्त हो, वहाँ पर तो किसी भी प्रकार के आर्थिक भ्रष्टाचार की सम्पूर्ण संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। मुद्रा की एक भी इकाई इस प्रणाली के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ सकती। इस प्रणाली के लागू होने से चोरी, घूसखोरी, जालसाजी, घपला, घोटाला, गबन, लूट आदि के रूप में कोई भी मौद्रिक भ्रष्टाचार सर्वथा असंभव हो जाता है। अंकमुद्रा प्रचालन का यह प्रत्यक्ष प्रभाव है। आंकिक मुद्रा के इस प्रभाव को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देख, समझ और अनुभव कर सकता है कि अंकमुद्रा अपनाने पर 100% मौद्रिक भ्रष्टाचार के समाधान की गारण्टी दी जा सकती है।*

2) ***कालेधन का निराकरण*** **(Elemination of Black Money) :** *अवैधरूप से छिपाकर रखे गए धन को ही 'कालाधन' कहते हैं। आंकिक मुद्राप्रणाली अपनाने पर राष्ट्र में किसी भी धन को छिपाकर रखना प्रायः असंभव हो जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी मौद्रिक लेन-देन पूर्णतः पारदर्शी होते हैं, अतः नगद धन को छिपाकर रखना तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता, बल्कि किन्हीं*

*वस्तुओं अथवा मूल्यवान धातुओं के रूप में कालेधन का निर्माण भी कठिन हो जाता है, क्योंकि धीरे–धीरे इन सभी वस्तुओं का क्रय–बिक्रय अंकलेखीकृत (**Digitalized**) हो जाता है। जब वाणिज्यिक बाजार में सभी वस्तुओं का क्रय–बिक्रय अंकमुद्रा के द्वारा होने लगता है, तो धीरे–धीरे प्रत्येक वस्तु लेखांकित हो जाती है। अतः किसी से छिपाकर, चुराकर, लूटकर, छीनकर, धोखा देकर किसी वस्तु को अर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वस्तु के स्वामित्व का प्रमाण लेखांकित रूप से सुलभ रहता है। क्रय–बिक्रय अथवा किसी भी आदान–प्रदान का जैसे–जैसे लेखांकीकरण होता है, वैसे–वैसे कालेधन का श्वेतीकरण स्वतः हो जाता है। यदि किसी के द्वारा अंकमुद्रा प्रणाली अपनाने से पूर्व कोई कालाधन विद्यमान हो, तो वह भी स्वयमेव श्वेतधन में परिवर्तित हो जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के कालेधन का निर्माण संभव ही नहीं होगा। विदेशी बैंकों में जमा कालाधन भी स्वयं वापस आकर देश में उन्हीं के खातों में जमा हो जाएगा। अंकमुद्रा प्रणाली अपनाने के पश्चात् राष्ट्र के सभी नागरिकों को एक माह की अवधि में अपनी नगद मुद्रा को डिजिटलाइज्ड करने का अवसर दिया जा सकता है, जिससे कि वे अपने कालेधन को बैंक में जमा करके श्वेतधन में लेखांकित करवा लें। इसके लिए किसी दण्ड या कानूनी कार्यवाही की भी छूट दी जा सकती है, जिससे कि सम्पूर्ण निरर्थक धन को सार्थक बनाया जा सके। इससे अनुपयोगी धन उपयोगी हो जाएगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी। इसीप्रकार से काली सम्पत्ति को घोषित करके श्वेत करने का अवसर भी दिया जा सकता है, जिससे उन सम्पत्तियों का भी उपयोग प्रारम्भ हो सके और राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हो।*

3) ***नकली मुद्रा पर नियन्त्रण (Control on Fake Currency) :*** *राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जब अंकमुद्रा प्रणाली अपनायी जाती है, तब नकली मुद्रा के प्रचालन पर स्वतः नियन्त्रण स्थापित हो जाता है। इस प्रणाली में मुद्रा की एक भी इकाई नकली रूप से नहीं चलाई जा सकती। कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा सरकार किसी भी अपने या दूसरे राष्ट्र के भीतर नकली मुद्रा का प्रक्षेपण नहीं कर सकती, क्योंकि अंकमुद्रा प्रणाली में प्रत्येक मुद्रा लेखांकित रहती है और उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अंकमुद्रा सभी वस्तुओं का विकल्प स्वयं है अतः इस परम विकल्प का कोई अन्य विकल्प संभव नहीं है। अंकमुद्रा प्रणाली में किसी के भी अधिकोषीय लेखे में किसी भी मुद्रा का आवागमन सदैव द्विपक्षीय होता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी लेखे में एक पक्षीय प्रविष्टि (डेबिट या क्रेडिट) नहीं कर सकता। यदि किसी लेखे में कोई मुद्रा क्रेडिट हुई है, तो उसके समानान्तर दूसरे लेखे में उसकी डेबिट एन्ट्री दर्ज होनी अनिवार्य होगी। इसी को द्विपक्षीय लेखांकन कहते हैं। अतः इस अंकलेखापद्धति द्वारा किया जानेवाला मुद्राप्रचालन किसी भी अतिरेक मुद्रा की मात्रा को स्वतः नियन्त्रित किए रहता है। सम्पूर्ण राष्ट्र में वर्तमान में*

कितना नगद धन है अथवा कितनी मुद्राएँ प्रचलित अवस्था में हैं, इसे कम्प्यूटर की एक क्लिक द्वारा जाना जा सकेगा। इस प्रणाली के द्वारा मुद्रास्फीति एवं मुद्रासंकुचन की वर्तमान शुद्ध दशा का भी ज्ञान सरलतापूर्वक हो सकेगा। यदि राष्ट्र में कुल प्रचलित मुद्रा 'केन्द्रीय मुद्राप्रचालन अधिकोष' में दर्ज प्रतिभूति से अधिक सिद्ध होगी, तो उसे 'मुद्रास्फीति' के नाम से जाना जाएगा तथा उस अधिकोष में यदि कुल प्रचलित मुद्रा दर्ज प्रतिभूतियों से न्यून होगी, तो उसे 'मुद्रासंकुचन' के नाम से जाना जाएगा। मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन की यही शुद्ध एवं न्यायशील परिभाषा होगी। मुद्राप्रचालन के लिए अधिकृत केन्द्रीय संस्थान या उसकी किसी भी शाखा में कोई भी व्यक्ति अपनी स्थूल सम्पदाओं के दस्तावेज प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करके उन सम्पदाओं के बाजारमूल्य के समकक्ष तक वांछित मुद्रा प्राप्त कर सकेगा, जो अंकमुद्रा प्रणाली के अंतर्गत उसके लेखे में दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार की लेखांकन पद्धति के कारण कोई भी नकली मुद्रा सार्वजनिक बाजार में प्रविष्ट नहीं हो सकती।

4) ***करचोरी पर नियन्त्रण* (Control on Tax Loss) :** *सरकारी राजस्व, लगान अथवा कर की चोरी सम्पूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों में वर्तमान समय में एक भयंकर अभिशाप बनी हुई है। अंकमुद्रा अपनाने के पश्चात् सभीप्रकार के राजस्वों अथवा करों की चोरी पर स्वतः पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक पैसे की भी करचोरी असंभव हो सकती है, क्योंकि सभी क्रय-बिक्रय, आय-व्यय, लेन-देन, आदान-प्रदान आदि जहाँ कहीं भी मौद्रिक व्यवहार समाहित है, वहाँ प्रत्येक व्यवहार लेखांकित हो जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के लिए अपना क्रय-बिक्रय एवं आय-व्यय छिपाना असंभव हो जाता है और उसे वास्तविक राजस्वों अथवा करों का भुगतान करना पड़ता है। इसप्रकार से सरकारी हितों को क्षति पहुँचाने की कुचेष्टा किसी भी नागरिक के लिए संभव नहीं रह जाती।*

5) ***अन्य मौद्रिक अपराधों पर नियन्त्रण* (Control on Other Monetary Crimes) :** *उपरोक्त चारों महाअपराधों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मौद्रिक अपराध आंकिक मुद्रा प्रणाली के प्रभाव से नियन्त्रित व समाप्त होने लगते हैं। चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, दहेज, हेराफेरी, आतंक, विद्रोह, क्रान्ति, गुण्डागर्दी आदि अनेक प्रकार के उपद्रव जो किसी दुष्प्रेरणा से धनशक्ति के माध्यम से किए जाते हैं, वे मौद्रिक व्यवहार की पारदर्शिता के कारण संभव नहीं रह जाएँगे। ऐसे ही अन्य कई प्रकार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अपराध आंकिक मुद्रा के प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जाएँगे अथवा उत्पन्न ही नहीं होंगे।*

ख) **अंकमुद्रा प्रचालन के अप्रत्यक्ष प्रभाव (Indirect Effects) :** *आंकिक मुद्राप्रणाली अपनाने से समाज या राष्ट्र के आर्थिक व्यवहारों पर निम्नलिखित अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है :–*

1) **मौद्रिक एकता का उदय (Rise of Currency Unification):** *अंकमुद्रा प्रणाली अपनाने पर मुद्रा के विविध प्रकारों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः किसी राष्ट्र के भीतर अथवा विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच मौद्रिक एकता को इस अंकमुद्रा प्रणाली के द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। किसी एक राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने पर यह आंकिक मुद्रा प्रणाली धीरे–धीरे फैलते हुए सर्वव्यापक हो जाएगी।*

2) **मुद्राबाजार की समाप्ति (End of Currency Market):** *मुद्रा के क्रय–बिक्रय हेतु वर्तमान विश्व में अनेक प्रकार के मुद्रा बाजार प्रचलित हैं, जहाँ डालर, पौंड, रुपया, येन आदि अनेक प्रकार के नामों, रूपों वाली मुद्राओं का क्रय–बिक्रय किया जाता है। इनके मूल्यों में भी परस्पर उतार–चढ़ाव प्रतिदिन देखा जाता है। किन्तु अंकमुद्रा का मूल्य सदैव स्थिर रहता है। दो राष्ट्रों के बीच भिन्न प्रकार की मुद्रा का अस्तित्व न होने के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन की एक ही मौद्रिक प्रणाली कार्य करती है तथा उनके अलग–अलग नामों की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः मौद्रिक प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त करने में इस अंकमुद्राप्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, यदि यह प्रणाली सभी राष्ट्रों द्वारा अपनाई जा सके। यह प्रणाली मुद्राबाजार के निरर्थक अस्तित्व को समाप्त कर सकती है।*

3) **समाज में नैतिकता की वृद्धि (Increase of Morality in Society):** *अंकमुद्रा प्रणाली अपनाने पर समाज या राष्ट्र में नागरिकों के बीच मौद्रिक छल, कपट, चोरी, डकैती अथवा अन्य किसी भी प्रकार के मौद्रिक षड़यन्त्र का व्यवहार संभव नहीं रह जाता। अतः समाज में एक सहज एवं स्वाभाविक नैतिकता का विकास होता है, जो मनुष्यों को कुसंस्कृत होने से बचाता है। कुकर्मों से ही कुसंस्कार बनते हैं। आर्थिक कुकर्म ही सर्वाधिक कुत्सित वृत्तियों को जन्म देता है। नीतिशास्त्रों में तो अर्थशुद्धि को ही वास्तविक शुद्धि माना गया है। अतः आंकिक मुद्रा प्रणाली मनुष्यों की नैतिकता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है।*

4) **अपराधों पर नियन्त्रण (Control on Crimes) :** *अंकमुद्रा प्रणाली अपनानेवाले राष्ट्र अथवा समाज में मुद्रा की चोरी, डकैती, घूसखोरी, हेराफेरी, जालसाजी आदि अनेक प्रकार के मौद्रिक अपराधों पर नियन्त्रण तो प्रत्यक्ष ही होने लगता है, किन्तु इस प्रणाली के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हैं, जो अन्य प्रकार के अपराधों पर नियन्त्रण स्थापित करने में भी सफलता प्रदान करते हैं, जैसे– धन देकर किसी की हत्या करवाना, धनबल से प्रशासनिक पद प्राप्त करना, धनबल से राजनैतिक चुनाव जीतना आदि।*

5) **मौद्रिक तरलीकरण की सहजता (Easiness of Monetary Liquidization):** *अंकमुद्रा प्रणाली के द्वारा मौद्रिक तरलीकरण सरल हो जाता है, क्योंकि मुद्रा की छपाई, ढलाई, रखरखाव आदि पर व्यय न होने के कारण आंकिक मुद्रा कितनी ही मात्रा में सहजतापूर्वक सुलभ हो सकती है। अंकमुद्रा लागत व्यय से मुक्त होती है, अतः इस पर किसी भी प्रकार का बैंकदर, रेपो अथवा प्रतिरेपो रेट अथवा किसी भी रूप में व्याज लगाना अनैतिक होता है। व्याज तो किसी भी मुद्रा पर अनैतिक एवं अशिष्ट है, किन्तु अंकमुद्रा तो लागतव्यय से मुक्त होने के कारण सहज लेन-देन की प्रक्रिया को जन्म देती है। अतः व्याजखोरी सर्वथा परित्याज्य हो जाती है। अंकमुद्रा अपने लेखे में दर्ज करवाने के लिए अपनी किसी भी स्थूल सम्पत्ति का बाजारगत मूल्यांकन करके प्रतिभूति के रूप में दस्तावेज सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकोष या बैंक में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तथा उस बाजारमूल्य की सीमा तक कोई भी धनराशि अपने बैंकखातों अथवा अधिकोषीय लेखों में सहजतापूर्वक दर्ज करायी जा सकती है। साथ ही कोई भी अंकमुद्रा विना प्रतिभूति के सरकार या उसके किसी अधिकृत संस्थान द्वारा निगमित नहीं किए जाने का नियम लागू होने पर मुद्रास्फीति का भय भी नहीं रहता, तथा प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत सम्पदाओं के तरलीकरण पर संतुलित मात्रा में मुद्रा जारी होने पर मुद्रासंकुचन का भय भी उत्पन्न नहीं होता।*

6) **अर्थव्यवस्था की गतिशीलता (Movement of Economy) :** *अंकमुद्रा के कारण बाजार में क्रय-बिक्रय अथवा कोई भी मौद्रिक लेन-देन सरल हो जाता है, वाणिज्यिक गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं। साथ ही अन्य आर्थिक व्यवहारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाती है। सरल क्रय-बिक्रय, सरल तरलीकरण, निर्व्याज ऋण एवं निर्भार मुद्रा के कारण आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र गति से चलती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था निरन्तर गतिशील बनी रहती है। अंकमुद्रा के माध्यम से निर्व्याज ऋणसेवा तथा मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल सरल हो जाती है, पूँजी सुलभ हो जाती है, जिससे रोजगार के संसाधनों निरन्तर की वृद्धि होती है। पूँजी के लिए विदेशी ऋण एवं विदेशी विनियोग की आवश्यकता नहीं रह जाती, राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाता है।*

7) **राजकोष का सदुपयोग (Good Utilization of Fisc) :** *अंकमुद्रा प्रणाली राजकोष की उपयोगिता को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार आदि के कारण होनेवाले राजकोष की हानि को अंकमुद्रा प्रणाली के द्वारा पूर्णतः अवरुद्ध करके राजकोष को लुटने और दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता है, तथा बची हुई धनराशि का सदुपयोग चारों जनाधिकारों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। राजकोष एक सार्वजनिक धन है, जिस पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। न्याय की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के चार ही जनाधिकार होते हैं- शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण। इन चारों सेवाओं पर ही भ्रष्टाचार से बचे हुए धन सहित सम्पूर्ण राष्ट्रकोष का बजटीकरण समानुपातिक रूप से किया जा*

सकता है, जिससे 25% शिक्षाबजट, 25% जीविकाबजट, 25% सुविधाबजट, 25% संरक्षणबजट का न्यायशील निर्धारण करके चार प्रकार की जनसेवाओं को सहजतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को समुचित शिक्षा–प्रशिक्षण, परिवार को समुचित जीविका–रोजगार, ग्राम को समुचित सुखसुविधा एवं समष्टि को समुचित संरक्षण प्राप्त होने लगता है। तथा इन चारों जनाधिकारों की सिद्धि से मनुष्यों के चारों मानवाधिकार सुरक्षित होते हैं। गुण, धन, सुख, स्वास्थ्य प्राप्ति के चार ही मानवाधिकार हैं। इन चारों मानवीय लक्ष्यों को ही प्राचीनकाल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के रूप में चार पुरुषार्थ कहा जाता था। व्यक्ति, परिवार, ग्राम, सृष्टि के उद्धार का यही क्रमबद्ध उपाय भी है, जिस पर आंकिक मुद्रा प्रणाली द्वारा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

8) ***आर्थिक विकास को प्रोत्साहन*** ***(Motivation to Economic Development)*** *: अंकमुद्रा प्रणाली अपनाने वाले राष्ट्र में हजारों वर्षों का आर्थिक विकास एक दशक अथवा एक वर्ष में ही संभव हो जाता है। इसके लिए सदियों अथवा सहस्राब्दियों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सभी आर्थिक निर्माण तीव्रगति से होते हैं, क्योंकि मौद्रिक तरलता सहज एवं निर्बाध होने के कारण मौद्रिक पूँजी प्रचुर मात्रा में सुलभ रहती है। न्यायशील मौद्रिक नीति के अभाव में ही आर्थिक विकास का अभाव होता है अथवा विकास की गति धीमी होती है। आंकिक मुद्रा प्रणाली किसी राष्ट्र की न्यायशील मौद्रिक नीति का प्रथम सोपान है। आर्थिक विकास के कारण मनुष्यों की क्रयशक्ति का विकास होता है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की मँहगाई का रोना समाप्त हो जाता है।*

9) ***दरिद्रता पर प्रभाव*** ***(Effect on Poverty)*** ***:*** *आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर राष्ट्र में फैली हुई दरिद्रता को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि दरिद्रता केवल अकर्मण्यता के कारण नहीं उत्पन्न हो रही, बल्कि अत्यधिक कर्मठ एवं परिश्रमी व्यक्तियों को भी दरिद्रता से ग्रस्त पाया जा रहा है। इसके पीछे उनके श्रम का शोषण है। मौद्रिक धोखाधड़ी, हेराफेरी आदि के द्वारा उपार्जनशील व्यक्तियों को उनका वास्तविक प्रतिफलन प्राप्त नहीं होता, जिससे वे दरिद्र बने रहते हैं। आंकिक मुद्रा प्रणाली इस दोष को भी समाज से बाहर करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। मौद्रिक पारदर्शिता के अभाव में धन का यथोचित वितरण समाज में नहीं हो पाता तथा श्रमिक वर्ग दरिद्रता या गरीबी से ग्रस्त हो जाता है। आंकिक मुद्रा प्रणाली पारदर्शी होने के कारण दरिद्रता को प्रभावित करती है।*

10) ***मँहगाई पर प्रभाव*** ***(Effect on Price Hike)*** ***:*** *आंकिक मुद्रा प्रणाली पारदर्शी होने के कारण धन की बर्बादी को रोकती है, जिससे राजकोषीय एवं गैरराजकोषीय धन का सदुपयोग प्रारम्भ हो जाता है। फलस्वरूप आर्थिक विकास एवं समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। जिससे लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि होती है। जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि से उन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं के मँहगे होने का कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। अतः मँहगाई का रोना स्वतः समाप्त होने लगता है। साथ ही बाजार में क्रय–बिक्रय पारदर्शी होने के कारण लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुओं*

एवं सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित होती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं हो पाती। स्पष्ट है कि आंकिक मुद्रा प्रणाली बाजार में बढ़ती हुई मँहगाई को भी प्रभावित करती है।

***अंकमुद्रा की सर्वस्वीकार्यता** (Universal Acceptance of Digital Currency) :–*
*अंकमुद्रा प्रणाली को सर्वस्वीकार्य ही जानना चाहिए। यदि इस पर जनतमसंग्रह किया जाए, तो 75% से 99% तक लोकमत इस प्रणाली के पक्ष में प्रमाणित हो सकता है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान प्राणी मुद्रा के इस दिव्य स्वरूप से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। इसकी सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, महिमा, लाभ, प्रभाव एवं परिणामों को पढ़कर, सुनकर, समझकर कोई भी मेधावी व्यक्ति सहज ही इसे स्वीकार करने को उत्सुक हो सकता है। अतः इस अंकमुद्रा प्रणाली को भारतसहित सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों में जनमतसंग्रह अथवा आमराय के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र में इस पर प्रचण्ड बहुमत सिद्ध किया जा सकता है। चंद धूर्तों को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण मानवता इसके लिए पूर्णतः सहमत सिद्ध होगी। भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, करचोरी आदि अनेक प्रकार की समस्याओं के खिलाफ लोकपाल, सीबीआई, पुलिस अथवा अन्य बड़ी–बड़ी जाँचकमेटियों, जाँच आयोगों आदि के द्वारा सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें अपनी आर्थिक अथवा मौद्रिकनीति को शुद्ध करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कहावत प्रसिद्ध है–**'बुद्धिर्यस्य बलं तस्य।'** बुद्धि ही वास्तविक बल है, हमें जनबल, धनबल, शस्त्रबल आदि के द्वारा शासन चलाने की बर्बरयुगीन दण्डपरम्परा से बाहर निकलकर अपने बुद्धि–विवेक का सहारा लेना चाहिए तथा विवेकशील नियम, नीति, निर्णयों के द्वारा अपनी समस्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, चाहे वे आर्थिक समस्याएँ हों अथवा अन्य। संसार की कोई भी समस्या का समाधान संभव है, यदि समस्या के कारणों को जानने का सूक्ष्म सद्विवेक हमारे भीतर जागृत हो। वैसे भी हमें विवेकशील प्रतिपादनों को सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई खूनीक्रान्ति, भ्रामक आन्दोलन, निरर्थक अभियान, अशाश्वत और अनर्थकारी व्यवस्थाओं की संभावना नहीं होती। विवेकहीन आदेशों, उपदेशों, आज्ञाओं, मार्गदर्शनों, परामर्शों, विचारों, लेखों, पुस्तकों, ग्रन्थों से ऊपर उठकर विवेकसम्पन्न ज्ञान–विज्ञान सम्मत प्रतिपादनों के अनुकूल आचार–व्यवहार अपनाना चाहिए, अन्यथा अन्तर्द्वन्द्व, गृहयुद्ध एवं राष्ट्रीय संघर्षों का भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है। जो अन्ततः हमारे विनाश का कारण बनता है। अतः हमें अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संकटों एवं समस्याओं का समाधान सदैव विवेकपूर्वक करना चाहिए। ध्यान रहे कि विवेकशील प्रतिपादन सदैव सरल होते हैं। उनमें किसी प्रकार का दाँवपेंच, जटिलता, जंजाल, षड़यन्त्र का अस्तित्व नहीं रहता। विवेकशील प्रतिपादन सदैव स्पष्ट, सुग्राह्य एवं सर्वहितकारी होते हैं।*

❀❀❀

वारम्वार पूछे जानेवाले प्रश्न
(Frequently Asked Question)

प्रश्न-1 : आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत बाजार में मुद्रा की स्वीकार्यता का आधार क्या होगा?

उत्तर-1 : *मुद्रा प्रचालन के लिए सरकार की ओर से एक राजकीय संस्था की स्थापना करी जाती है, जिसे राज्याधिकोष, सरकारी बैंक, केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक आदि किसी भी नाम से जाना जा सकता है। उसी राजकीय संस्था या अधिकोषालय के माध्यम से मुद्रा का निगमन, प्रचालन एवं संरक्षण किया जाता है। बाजार में कोई भी मुद्रा विना प्रतिभूति के निगमित नहीं की जाती। मुद्रा की प्रत्येक इकाई को जारी करने से पूर्व उस प्राधिकृत संस्थान द्वारा मौद्रिक इकाई के घोषित मूल्य के समतुल्य बाजारमूल्य वाली प्रतिभूति प्राप्त की जाती है। अतः बाजार में चलनेवाली प्रत्येक मुद्रा प्रत्याभूत होती है, जिससे वह सर्वस्वीकार्य बनी रहती है, क्योंकि जारी की गई प्रत्येक मुद्रा के प्रतिस्थापन हेतु कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिभूति के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। इसीलिए प्रचलित मुद्रा पर किसी भी प्रकार से हानि की शंका नहीं रह जाती और वह सर्वस्वीकार्य बनी रहती है। जो मुद्रा प्रत्याभूत नहीं होती, वह जरूर संदिग्ध होती है, चाहे उसके मूल्य की अदायगी का सरकारी वचन उस पर लिखा हो अथवा नहीं। प्रत्याभूत मुद्रा सदैव विश्वसनीय होती है और इसी विश्वसनीयता के कारण वह सर्वस्वीकार्य होती है। यह मुद्रा चाहे किसी सरकारी संस्था को जारी की जाए अथवा किसी निजी संस्था या व्यक्ति को, यह सदैव प्रतिभूति के बदले में ही जारी की जानी चाहिए। यही मुद्रा की विश्वसनीयता एवं सर्वस्वीकार्यता का आधार है। इसी प्रातिभूतिक आधार के द्वारा मुद्रानिगमन संस्थान दिवालिया होने से भी बचा रहता है।*

प्रश्न-2 : जहाँ पर मोबाइल या इण्टरनेट सेवा सुलभ नहीं है, वहाँ पर यह अंकमुद्रा प्रणाली कैसे कार्य करेगी?

उत्तर-3 : *कोई भी सरकारी सेवा सार्वजनिक तल पर समान रूप से वितरित हुए विना न्यायशील नहीं सिद्ध हो सकती। अतः टेलीफोन एवं इण्टरनेट आदि संचारसेवाएँ भी सरकार द्वारा सर्वसुलभ बनायी जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों को ये सुविधाएँ देना और कुछ क्षेत्रों को न देना ही सरकारी अन्याय सिद्ध होता है। अतः जो सरकार अन्याय पर आधारित कार्य करती है, वह सम्वैधानिक नहीं हो सकती। न्यायशील संविधान का उल्लंघन करनेवाली सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता। जिन क्षेत्रों को सरकार द्वारा ये सेवाएँ समुचित रूप से सुलभ नहीं करायी जातीं, उन क्षेत्रों को नये सिरे से अपना राजनैतिक प्रतिनिधि चुनना चाहिए, जो उनके हितों की रक्षा कर सके। प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों से अपने क्षेत्र के लिए समान सुविधाओं की माँग करने का अधिकार है। देश का प्रत्येक आवासीय क्षेत्र देश के किसी भी अन्य क्षेत्र के समान ही समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं अथवा सुविधाओं का समान अधिकार रखता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में तो स्पष्ट रूप से आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अतः जिस क्षेत्र को ये सेवाएँ अथवा सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं, उसे अपने क्षेत्र के विधायक अथवा सांसद को आर्थिक न्याय के*

सम्वैधानिक सिद्धान्त के आधार पर माँग करनी चाहिए और जो इस आर्थिक न्याय के सम्वैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं करता, उस विधायक या सांसद को दोबारा वोट नहीं देना चाहिए, तथा अपना नया प्रतिनिधि जो इस न्यायशीलता की रक्षा करने का वचनपत्र लिखकर दे, उसे ही वोट देना चाहिए। वादाखिलाफी या धोखाधड़ी होने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। वैसे केन्द्र सरकार को इसके लिए समुचित व्यवस्था करके सभी नागरिकों के समान हिताधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन स्वतः करना चाहिए। कोई भी सरकार इस न्यायशील नैतिकता का उल्लंघन नहीं कर सकती। अतः सरकारों द्वारा सभी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ समान और उचित रूप से विस्तारित करके समस्त नागरिकों को इस अंकमुद्रा प्रणाली के प्रयोग का समुचित अवसर एवं अधिकार प्रदान करना चाहिए। धातुमुद्रा या कागजीमुद्रा के छापने पर जो धन सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है, उस धन से दूरसंचार सेवाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, क्योंकि आंकिकमुद्रा के ढालने, छापने, ढोने एवं रख–रखाव आदि पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। अतः आंकिक मुद्रा के प्रचालन द्वारा होनेवाले व्ययों की बचत से इसकी संचारसेवाओं को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।

प्रश्न-3 : जो लोग अशिक्षित और गरीब हैं, क्या वे भी अंकमुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं?

उत्तर-3 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली बिल्कुल सरल है। इसका प्रयोग कोई भी शिक्षित या अशिक्षित बड़ी सरलतापूर्वक कर सकता है। बल्कि इसके प्रयोग से अशिक्षितों को होनेवाली मौद्रिक हानि की संभावनाओं पर भी नियंत्रण करना सरल हो जाता है। वस्तुमुद्रा, धातुमुद्रा, कागजीमुद्रा आदि के प्रयोग से अशिक्षितों को अनेक बार ठगी, चोरी, धोखाधड़ी आदि का शिकार होने अथवा मुद्रा के गुमने, कटने, फटने, जलने, गलने, गिनने, रखने आदि की समस्या से भी अशिक्षितों को छुटकारा दिलाने में यह अंकमुद्रा सक्षम है। अतः आंकिक मुद्रा प्रणाली अशिक्षितों के लिए तो शिक्षितों से भी अधिक लाभदायक है। सभी दुकानों अथवा कार्यालयों में 'डिजिटल करेन्सी' के लेन–देन हेतु एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस रखना अनिवार्य होने से सामान्य व्यक्तियों को अपना डिवाइस रखना आवश्यक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की डिवाइस का प्रयोग करके भी अपना लेन–देन कर सकता है। उसका पासवर्ड चोरी होने पर भी उसे कोई विशेष खतरा या हानि नहीं होगी।*

प्रश्न-4 : क्या इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं इण्टरनेट के माध्यम से मौद्रिक व्यवहार होने पर दूसरों का पासवर्ड चुराकर लोग उनके खाते में जमा राशि नहीं निकाल लेंगे?

उत्तर-4 : *आंकिकमुद्रा प्रणाली इलेक्ट्रानिक माध्यम से चलाये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक बैंक एकाउंट धारण करना होता है, क्योंकि उसी बैंकखाते के माध्यम से सभी प्रकार के मौद्रिक लेन–देन किए जाते हैं। प्रत्येक बैंकखाते का एक विशेष नंबर होता है, तथा प्रत्येक खाताधारक अपने इलेक्ट्रानिक एकाउंट के लिए एक विशेष पासवर्ड का भी प्रयोग कर सकता है। इस पासवर्ड को प्रत्येक खाताधारक अपने लिए गोपनीय रख सकता है। किन्तु इसकी गोपनीयता भंग होने अथवा इस पासवर्ड के चोरी होने पर खाताधारक को*

किसी भी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि किसी के खाते से कोई धनराशि स्थानांतरित होकर किसी दूसरे के खाते में क्रेडिट होने पर स्पष्ट रूप से चोरी पकड़ी जा सकती है, तथा त्वरित कार्यवाही करके इस राशि के स्थानांतरण पर रोक लगाई जा सकती है तथा किसी बड़ी धनराशि के स्थानांतरण को रोकने के लिए बैंकखातों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जैसे– अल्प आयवर्ग, मध्यम आयवर्ग, उच्च आयवर्ग आदि। अथवा औसत वार्षिक आय के आधार पर बैंकखाते के लेन–देन की सीमा निर्धारित की जा सकती है, जिससे कि व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक की धनराशि का कोई भी लेन–देन या धन का स्थांतरण न कर सके। लोगों की आय अथवा संपत्ति के आधार पर ही उनके बैंकखाते की सीमा तय की जाए। उस सीमा से अधिक लेन–देन की चेष्टा होने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा। बैंकखाते की सीमा के भीतर किए गए किसी भी अवैध धनराशि के हस्तांतरण को उसकी आय और सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है। अतः आंकिकमुद्रा प्रणाली के बैंकखातों का पासवर्ड चुराकर कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता तथा ऐसा दुरुपयोग करने की चेष्टा तुरन्त पकड़ी जा सकती है और तत्सम्बन्धी धनराशि की वसूली करी जा सकती है। यहाँ पर यह भी उद्धरणीय है कि आंकिक मुद्रा प्रणाली में वस्तुमुद्रा, धातुमुद्रा अथवा कागजीमुद्रा के रूप में नगद धन की उपस्थिति नहीं होती। अतः कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खाते से नगदधन लेने में समर्थ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड चुराकर उसके खाते से कोई धन निकालना चाहे, तो उसे वह धन अपने खाते में ही स्थानांतरित करना पड़ेगा, तथा मौद्रिक लेन–देन पारदर्शी होने के कारण यह चोरी तत्काल पकड़े जाने योग्य और वसूली योग्य होगी।

प्रश्न-5 : यह अंकमुद्राप्रणाली जो कि बिल्कुल सरल एवं सर्वहितकारी है, उसे राष्ट्रीय सरकारों द्वारा लागू क्यों नहीं किया जाता?

उत्तर-5: *निश्चित रूप से यह अंकमुद्रा प्रणाली बिल्कुल सरल, सहज स्थापनीय, अव्ययी, अपराधनिवारक एवं सर्वहितकारी है। इसके लागू होते ही सब प्रकार के मौद्रिक अपराध पूर्णतः समाप्त हो जाएँगे। इस प्रणाली के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेक लाभ एवं प्रभाव हैं। किन्तु वास्तव में अभी तक राष्ट्रीय सरकारों को भी इस 'अंकमुद्रा प्रणाली' एवं समाज एवं राष्ट्र में इसके प्रभाव और महत्त्व का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है। ज्ञान का अभाव भी एक समस्या है। जब तक संसार में किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तब तक उस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ज्ञान के विना कर्म का जन्म नहीं होता। लोग जितना जानते हैं, उतना अवश्य करते हैं। विद्युत का ज्ञान होने पर विद्युत का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका है। जब तक संसार को विद्युत का ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक उसका प्रयोग भी नहीं होता था। अब* ***न्यायधर्मसभा, हरिद्वार*** *की ओर से इस आंकिकमुद्रा प्रणाली समेत अनेक प्रकार के ज्ञान–विज्ञान का प्रतिपादन एवं प्रसारण लगातार किया जा रहा है, जिससे लोगों की जानकारी बढ़ेगी और धीरे–धीरे लोग उसका प्रयोग भी प्रारम्भ कर देंगे। ज्ञान के विना कोई वस्तु प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। प्रसिद्ध है–* ***'ज्ञाने सर्वं प्रतिष्ठितम्।'***

प्रश्न-6 : जनता को इस अंकमुद्राप्रणाली से क्या लाभ है?

उत्तर-6 : *अर्थ के विना मानवजीवन व्यर्थ हो जाता है। किसी भी सामाजिक या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मुद्रा है। मुद्रा का प्रयोग किए विना आर्थिक व्यवहार कठिन होता है। मुद्रा सभी वस्तुओं, सामग्रियों, संसाधनों, सम्पदाओं का विकल्प है। इस मौद्रिक विकल्प के द्वारा ही किसी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु का मूल्यांकन होता है। मूल्य मापने की इकाई ही मुद्रा है, जो एक विकल्प के रूप में किसी भी वस्तु के लेन-देन अथवा क्रय-बिक्रय का आधार बनती है। मुद्रा जितनी सरल, सहज, सुलभ एवं सम्यक् होती है, उतनी तीव्र गति से आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का द्वार खुलता है। आंकिक मुद्रा प्रणाली राष्ट्र में मुद्रा के सरलतम अस्तित्व को जन्म देती है। वस्तुमुद्रा, धातुमुद्रा, कागजीमुद्रा आदि की तुलना में अंकमुद्रा श्रेष्ठ है। बल्कि अंकमुद्रा से अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। आंकिकमुद्रा के प्रयोग से सामान्य जनजीवन को अनेक प्रकार की हानियों, भयों, संकटों, असुरक्षाओं से छुटकारा मिलता है। धन की हानि, चोरी, ठगी, लूट, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के कारण जनसामान्य को भारी कष्ट एवं संकट का सामना करना पड़ता है। आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनाने पर इन समस्याओं का पूर्णरूपेण अन्त हो जाता है, तथा मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों एवं संकटों से बच जाता है।*

प्रश्न-7 : सरकार को इस अंकमुद्राप्रणाली के प्रयोग से क्या लाभ है?

उत्तर-7 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली के द्वारा मुद्रा का निगमन, प्रचालन एवं संरक्षण बिल्कुल सहज एवं सरल हो जाता है। अन्य प्रकार की मुद्राओं के निगमन, प्रचालन, संरक्षण का कार्य अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि सरकार को अनेक प्रकार के व्ययों, हानियों, संकटों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धातुमुद्रा एवं कागजीमुद्रा के प्रचालन में ढालने, छापने, ढोने, गिनने, कटने, फटने, गुमने, खोने, क्षीण होने, चोरी होने, लुटने आदि की समस्याएँ बड़े पैमाने पर प्रकट होती हैं। नकली मुद्रा छापकर अपराधियों द्वारा साधारण मुद्राप्रणालियों का दुरुपयोग भी होता रहता है। किन्तु ये सभी प्रकार की समस्याएँ आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनाए जाने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। साथ ही सरकार को आर्थिक भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये पाँचों मौद्रिक अपराध स्वतः समाप्त हो जाते हैं, यदि सरकार द्वारा आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनायी जा सके। अतः सरकार करों आदि का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर सकती है। इसके द्वारा सरकार मुद्रा के सरल और निर्व्ययी निगमन हेतु संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली भी अपना सकेगी। यह तरलीकरण पर्याप्त मौद्रिक पूँजी प्रदान करके राष्ट्र और समाज से सभी प्रकार के मौद्रिक संकटों को समाप्त कर सकता है। तरलीकरण की इस सर्वसुलभता के द्वारा शोषणकारी व्याजप्रथा भी पूर्णतः समाप्त हो सकती है, जिससे मुद्रा का प्रचालन निर्भार हो जाता है।*

प्रश्न-8 : क्या अंकमुद्राप्रणाली लागू होने से अपराधों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी?

उत्तर-8 : *अधिकांश अपराधों का मूल कारण 'अर्थ' है। प्रायः आर्थिक कारणों से ही अपराध होते हैं। अनेक अपराधों में सौदेबाजी सम्मिलित होती है। मौद्रिक लेन-देन के द्वारा अधिकांश अपराध घटित होते हैं। नगद धन के छिपे हुए लेन-देन द्वारा आपराधिक सौदेबाजी होती है। यदि नगदी के स्थान पर 'डिजिटल करेन्सी' प्रतिष्ठित हो, तो धन के*

लिखित/प्रविष्ट/पारदर्शी हस्तांतरण के कारण अपराधियों के पकड़े जाने का सप्रमाण आधार बना रहता है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगता है। लोग आपराधिक कार्यों के लिए किए जानेवाले धन के लिखित लेन-देन से बचते हैं, फलस्वरूप आपराधिक घटनाओं में कमी आती है। वस्तुओं का लेन-देन भी आंकिक मुद्रा प्रणाली में लेखांकित हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की सुपारी, घूसखोरी, चोरी, भ्रष्टाचार आदि की संभावना कम हो जाती है। आपराधिक कार्यों के लिए ही मुकदमेबाजी होती है, अतः आंकिक मुद्रा प्रणाली अपराधों को नियन्त्रित करती है। इसलिए आंकिक मुद्रा प्रणाली को अपराधों एवं मुकदमेबाजी पर नियन्त्रण करनेवाली कहा जा सकता है। अपराधों, विवादों, झगड़ों, लड़ाइयों, युद्धों आदि के पीछे नगद धन की सत्ता ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः धन पर लेखांकिक नियन्त्रण स्थापित करनेवाली आंकिक मुद्रा प्रणाली आपराधिक कार्यों के लिए गति अवरोधक का कार्य करती है, जिससे मुकदमेबाजी में कमी आती है।

प्रश्न-9 : क्या कोई एक राष्ट्र अकेले इस आंकिक मुद्रा प्रणाली को अपना सकता है, जबकि संसार के अन्य राष्ट्रों में यह प्रयुक्त न हो रही हो?

उत्तर-9 : *निश्चित रूप से कोई भी संप्रभु राष्ट्र जिसे अपनी स्वयं की राष्ट्रीय मुद्रा निगमित करने का अधिकार प्राप्त है, वह अकेले ही आंकिक मुद्रा प्रणाली स्वेच्छापूर्वक अपना सकता है। प्रत्येक राष्ट्र स्वेच्छा एवं स्वतन्त्रतापूर्वक ही अपने देश में मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है, तथा उन्हें यथेष्ट रूप से लागू भी करता है, चाहे वह धातुमुद्रा अपनाए अथवा कागजीमुद्रा अथवा इन सभी प्रकार की मुद्राओं का त्याग करके केवल आंकिक मुद्रा अपनाए। इसमें कोई बाधा नहीं है, तथा अन्य किसी भी राष्ट्र को उसकी संप्रभुता पर बाधा खड़ी करने का कोई अधिकार भी नहीं है। प्रायः सम्पूर्ण विश्व में लोकतन्त्र किसी न किसी रूप में प्रवेश कर चुका है। अतः धीरे-धीरे यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सम्पूर्ण विश्व को एक राष्ट्र में स्वतः बदलकर रख देगी और एक सार्वभौमिक राष्ट्र का उदय होगा, जिसमें एक ही मौद्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य हो जाएगी और ऐसी सार्वभौमिक मुद्रा प्रणाली केवल आंकिक मुद्रा प्रणाली ही हो सकती है, जिसे* ***'डिजिटल करेन्सी सिस्टम'*** *भी कहा जा सकता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र स्वेच्छा एवं स्वतन्त्रतापूर्वक आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनाने में समर्थ है, बल्कि वह राष्ट्र ऐसा सत्साहस दिखाकर अन्य राष्ट्रों के लिए प्रेरणास्रोत भी बन सकता है, तथा ऐसी सात्त्विक न्यायशील मौद्रिक नीति अपनाकर वह विश्व के सम्मुख एक आदर्श राष्ट्र सिद्ध हो सकता है। भारत को तो वैसे भी 2025 तक आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक आदि तीनों तलों पर विश्वगुरु की उपाधि मिलने वाली है। लोग 2025 के पश्चात् भारत को ही आदर्श मानकर चलेंगे, तथा इस के सात्त्विक न्यायशील नियम-नीति-निर्णय ही सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, तथा सर्वस्वीकार्य भी सिद्ध होंगे। ध्यान रहे-* ***'सत्यमेव जयते।'***

प्रश्न-10 : वर्तमान में विश्व के किसी भी अन्य देश में यह आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू क्यों नहीं है?

उत्तर-10 : *वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र द्वारा इस आंकिक मुद्रा प्रणाली के लागू न होने के पीछे दो कारण हैं– अज्ञान और धूर्तता। पानी के निर्माण का सूत्र (H_2O) बिल्कुल सरल था, किन्तु उसकी खोज होने तक उसका प्रयोग करना कठिन या असंभव था। जानकारी का अभाव किसी भी वस्तु को प्रभावशील नहीं बना पाता। ज्ञान के विना कर्म नहीं होता। ज्ञान से गुण, गुण से कर्म और कर्म से फल उत्पन्न होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का यही आधार है। पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर उसके द्वारा गुण–कौशल का विकास करो, गुण–कौशल को कर्मों में रूपान्तरित करो। यह कर्म ही व्यवहृत एवं प्रतिफलित होकर मनुष्यों को सफल बनाता है। आंकिक मुद्रा प्रणाली का ज्ञान न होने से ही प्राचीनकाल में लोग 'वस्तुविनिमय' प्रणाली का प्रयोग करते थे। ज्ञान की ज्योति कुछ बढ़ी तो 'धातुमुद्रा' का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। ज्ञान का प्रकाश और बढ़ा तो 'कागजीमुद्रा' का प्रयोग होने लगा। ज्ञान की पूर्णता पर ही 'अंकमुद्रा' प्रणाली का आविष्कार होता है। स्थूल बुद्धि से स्थूल कार्य होते हैं। जैसे–जैसे सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है, वैसे–वैसे सूक्ष्म कार्यों एवं सिद्धान्तों का आविष्कार होता है। आंकिक मुद्रा प्रणाली परम सूक्ष्म है। इससे अधिक सूक्ष्म किसी प्रणाली का आविष्कार नहीं हो सकता। अतः जो बात अत्यन्तिम रूप से सिद्ध हो जाती है, वही यथार्थ मान्य होती है। आंकिक मुद्रा प्रणाली सूक्ष्मतम प्रणाली है, जिसमें मुद्रा किसी भी प्रकार से स्थूल रूप में दृश्यमान नहीं होती। अतः उसके ढालने, छापने, ढोने, गिरने, गुमने, खोने, कटने, फटने, सड़ने, गलने, लुटने, ठगे जाने, चोरी होने आदि का संकट भी नहीं रहता। यह एक निर्व्यय मुद्रा प्रणाली है। इसके निगमन में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। न इसमें धातु का प्रयोग होता है, न कागज का। अतः सरकार को इस मुद्रा के निगमन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे–जैसे आंकिक मुद्रा प्रणाली की सरलता, सहजता, सम्यकता, सुरक्षा, निर्भयता, निर्व्ययता, सुलभता आदि का ज्ञान होगा, वैसे–वैसे आंकिक मुद्रा प्रणाली की स्वीकार्यता समाज में बढ़ती जाएगी। धीरे–धीरे संसार का प्रत्येक राष्ट्र इस आंकिक मुद्रा प्रणाली को सहर्ष स्वीकार करेगा। वास्तव में यह प्रणाली किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ईश्वरीय वरदान की भाँति है, जो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं समृद्धि का द्वार खोल सकती है तथा राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाकर पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी सुखशान्ति को जन्म दे सकती है।*

प्रश्न-11 : यदि हमारे देश में आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होती है, जो दूसरे देशों की मुद्रा के साथ हमारी मुद्रा का विनिमय कैसे होगा अर्थात् मुद्राबाजार की स्थिति क्या होगी अथवा डालर, पौण्ड आदि के साथ हमारी मुद्रा का मूल्यांकन कैसे होगा?

उत्तर-11 : *मुद्रा का अपना वस्तुगत मूल्य होना कोई आवश्यक नहीं है। यदि मुद्रा निगमन के लिए प्रतिभूति का प्रयोग किया जाए, तो मुद्रा के लिए किसी मूल्यवान धातु का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा के मौद्रिक मूल्य की व्यावहारिक माप अवश्य होनी चाहिए। साधारणतः मुद्रा की किसी इकाई को उसकी क्रयशक्ति के द्वारा मापा जाता है। मुद्रा की एक घोषित इकाई बाजार में किसी वस्तु या सामग्री की कितनी मात्रा क्रय करने में समर्थ होती है, इसे ही मुद्रा की*

'क्रयशक्ति' कहते हैं। इसी क्रयशक्ति के आधार पर अन्य किसी भी राष्ट्र की मुद्रा का मूल्यांकन भी संभव है। इसी क्रयशक्ति के आधार पर किन्हीं दो मुद्राओं के बीच विनिमय की प्रक्रिया अपनायी जाती है। मुद्राबाजार में किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मुद्रा का मूल्यांकन करके तदनुसार ही मुद्राविनिमय की क्रिया सम्पन्न हो सकती है। आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनानेवाले राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र की मुद्रा के साथ विनिमय कार्यों में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती।

प्रश्न-12 : जब दूसरे राष्ट्रों में 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' लागू नहीं है, तो हम इसे अपने राष्ट्र में कैसे लागू कर सकते हैं?

उत्तर-12 : *यदि दूसरे देशों में बिजली का उत्पादन न होता हो, तो क्या हमें अपने देश में बिजली का उत्पादन नहीं करना चाहिए ? यदि दूसरे देशों में लोग जंगली असभ्य प्राणियों की भाँति रहते हों, तो क्या हमें भी अपनी सभ्यता नष्ट कर देनी चाहिए और जंगली पशुओं जैसा जीवन जीना चाहिए ? प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि जनहित के लिए वह सब कुछ करे, जो उसके द्वारा संभव हो, चाहे उसके लिए नये-नये नियमों, नीतियों, निर्णयों आदि का निर्माण करना पड़े। जब तक कोई व्यवस्था राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समुचित सुखशान्ति सुलभ करानेवाले न्यायोचित हितों की रक्षा करने संबन्धी सब प्रकार के प्रयत्न नहीं करती, तब तक वह व्यवस्था पूर्ण नहीं कहलाती। प्रत्येक आविष्कार सभी राष्ट्रों में संभव नहीं है अथवा सभी राष्ट्र किसी उपयोगी वस्तु का आविष्कार एक साथ नहीं कर सकते। कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति, वर्ग या राष्ट्र को अकेले ही किसी न किसी वस्तु, तथ्य, सिद्धान्त आदि का आविष्कार और उसका क्रियान्वयन करना ही पड़ता है। अतः सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र को 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' अपनानी चाहिए। धीरे-धीरे दूसरे राष्ट्रों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वे भी भारत की इस महान प्रणाली को अपनाकर अपने राष्ट्र के सार्वजनिक हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आंकिक मुद्रा प्रणाली किसी भी राष्ट्र में फैले हुए भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य विविध प्रकार के मौद्रिक अपराधों को प्रायः 100% रोकने अथवा समाप्त करने में सक्षम है। जब इतनी सरल युक्ति से इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान तुरन्त हो सकता है, तो इन भयंकर समस्याओं से जूझने के लिए व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कठिन, दुःसाध्य एवं असंभव उपायों, नियमों, विधानों, कानूनों, संघर्षों, जाँचों, मुकदमों, दण्डों, सजाओं, जेलों आदि को अपनाने की मूर्खता या हठधर्मिता क्यों ? मानवसमाज का कोई भी बुद्धिमान प्राणी इस बात को भली-भाँति समझ सकता है कि यह आंकिक मुद्रा प्रणाली निस्सन्देह रूप से भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों को पूर्णतः रोकने और समाप्त करने में समर्थ है, तो फिर इससे बचने की चेष्टा को मूर्खता या धूर्तता के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ? यदि कोई भी राष्ट्र या उसका सत्ताधीश इस आंकिक मुद्रा प्रणाली को अपनाने से बचते हैं, टाल-मटोल करते हैं अथवा इसके विरुद्ध कुतर्क देने की कुचेष्टा करते हैं, तो निश्चय ही वे संदिग्ध हैं और जानबूझकर राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक हितों का नाश करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का कुत्सित स्वप्न संजोए हुए है। अतः सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र अथवा दुनिया के अन्य राष्ट्रों को भी यह 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' अविलम्ब शीघ्रातिशीघ्र*

अपनानी एवं लागू करनी चाहिए। जो राष्ट्र इसे समझता है और इसकी विशेषता, महत्त्व, लाभ, प्रभाव को जानता है, उसे अतिशीघ्र इसके लिए अध्यादेश जारी करना चाहिए। कोई दूसरा राष्ट्र इसे लागू करे अथवा नहीं, यह प्रणाली जो राष्ट्र लागू कर सकेगा, उसके सभी मौद्रिक अपराध और दुःख दूर हो जाएँगे।

प्रश्न-13 : धातुमुद्रा या कागजीमुद्रा की तुलना में क्या आंकिक मुद्रा का प्रचालन सरकार के लिए सस्ता एवं सरल होगा?

उत्तर-13 : *प्राचीनकाल में जब मनुष्य अशिक्षित था, अथवा अल्पशिक्षित था, तब मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था। मुद्रा की परिकल्पना मानसिक विकास के विना संभव नहीं होती। मन से ही मुद्रा का जन्म होता है। इसीलिए 'मुद्रा' को अँग्रेजी में 'मनी' कहते हैं। मुद्रा एक काल्पनिक वस्तु है, जो किसी भी स्थूल वस्तु का विकल्प है। मुद्रा की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना कठिन होता है। अतः वस्तुओं के पारस्परिक लेन-देन के लिए एक वस्तु की प्राप्ति के बदले में दूसरी वस्तु देनी पड़ती है, इसे ही वस्तुविनिमय प्रणाली कहते हैं। इस वस्तुविनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, जो आर्थिक व्यवहार को कठिन बनाती हैं। मनुष्य के मानसिक विकास से उसमें कल्पनाशक्ति का जन्म होता है। इस कल्पनाशक्ति के द्वारा ही आर्थिक व्यवहार की कठिनाई को दूर करने के लिए वस्तुओं के वैकल्पिक अस्तित्व का विचार एवं आविष्कार होता है, जिसे 'मुद्रा' के नाम से जाना जाता है। किन्तु बौद्धिक क्षमता अधिक प्रबल न होने के कारण इस मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप में ही चलाना पड़ता है, तथापि कुछ बौद्धिक विकास होने पर धातुमुद्रा अथवा कागजीमुद्रा का जन्म होता है। बैंकचेक, बैंकड्राफ्ट, डेबिटकार्ड, क्रेडिटकार्ड आदि को मौद्रिक व्यवहार का अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण साधन कहा जा सकता है। जैसे-जैसे मनुष्य की मनोबुद्धि का विकास होता है, वैसे-वैसे मुद्रा का सूक्ष्मीकरण होता है। प्रत्येक सूक्ष्ममुद्रा अधिक सस्ती एवं सरल होती है। धातुमुद्रा से अधिक सस्ती एवं सरल कागजीमुद्रा है। कागजीमुद्रा से भी अधिक सस्ते एवं सरल बैंकचेक, बैंकड्राफ्ट, डेबिटकार्ड, क्रेडिटकार्ड आदि के द्वारा किए जानेवाले लेन-देन हैं और इनसे भी अधिक अथवा सर्वाधिक सस्ती एवं सरल है- आंकिक मुद्रा प्रणाली, जो विना किसी व्यय के निगमित की जा सकती है। इस निर्व्यय मुद्राप्रणाली को अपनाना सरकार एवं संसार के लिए सदैव हितकारी है। जनता के लिए यह अंकमुद्रा अधिक सस्ती, सहज, सरल, सुविधाजनक एवं भयमुक्त है। आंकिक मुद्रा प्रणाली सरकार और जनता को अनेक प्रकार के अपराधो, हानियों और संकटों से बचाती है। अतः 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' से अधिक सस्ता, सरल, सुविधाजनक एवं सुरक्षित दूसरा कोई मौद्रिक विकल्प नहीं है। सरकार को इसे तुरन्त ही अपनाना और लागू करना चाहिए, ताकि अनेक प्रकार की समस्याओं, संकटों, हानियों, क्षतियों, भयों और अपराधों से बचा जा सके। बड़ी से बड़ी भयंकर मौद्रिक समस्याओं का यह सस्ता एवं सरलतम समाधान है। यह आंकिक मुद्रा प्रणाली अत्यधिक महत्त्वपूर्ण, लाभकारी एवं प्रभावशील है।*

प्रश्न-14 : क्या सरकार को विदेशी विनिमय में आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनाने के कारण समस्या नहीं आएगी?

उत्तर-14 : *विदेशी विनिमय का सम्बन्ध मुद्राबाजार से है, जहाँ किन्हीं दो राष्ट्रों की मुद्रा का विनिमय किया जाता है अथवा किसी सरकार को विदेशी भुगतानों के लिए उनकी मुद्रा का मौद्रिक मूल्यांकन अपनी मुद्रा के द्वारा करके तदनुकूल भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे ही विदेशी विनिमय कहते हैं। स्पष्ट है कि विनिमय में किन्हीं दो राष्ट्रों की मुद्राओं के मौद्रिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस मौद्रिक मूल्यांकन के लिए किसी मुद्रा का धातु के रूप में, कागज के रूप में अथवा आंकिक रूप में होने से कोई ऐसा अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि मौद्रिक मूल्यांकन के लिए उसका वस्तुगत मूल्यांकन आवश्यक नहीं होता। किसी भी स्थूल या सूक्ष्म मुद्रा का मौद्रिक मूल्यांकन उसकी क्रयशक्ति पर आधारित होता है। किन्हीं दो राष्ट्रों की मुद्राओं की क्रयशक्ति का निर्धारण करके विदेशी मुद्रा विनिमय को सम्पन्न किया जा सकता है। अतः आंकिक मुद्रा के प्रचालन से विदेशी विनिमय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।*

प्रश्न-15 : हमारी मुद्रा जब स्थूल रूप में नहीं होगी, तब उसका मूल्यांकन कैसे होगा?

उत्तर-15: *मुद्रा के वस्तुगत मूल्य से मुद्रा के मौद्रिक मूल्यांकन का अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। वर्तमान में प्रचलित कागजी मुद्रा के 1000 रुपये के नोट में प्रयुक्त कागज स्वयं 1000 रुपये की मूल्यवत्ता धारण नहीं करता, किन्तु वह 1000 रुपये की क्रयशक्ति धारण करता है। रुपये 1000/– के नोट का कागजी मूल्य 10 पैसा भी होना आवश्यक नहीं है, किन्तु वह रुपये 1000/– का लेन–देन करने में समर्थ है। ऐसा क्यों है, इसे जानना आवश्यक है! मुद्रा एक काल्पनिक वस्तु है। उसमें प्रयुक्त धातु या कागज का मूल्य उस पर छपे हुए मूल्य के समकक्ष होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मुद्रा पर छपी हुई मूल्यवत्ता उसकी क्रयशक्ति का निर्धारण करती है कि वह मुद्रा कितनी वस्तुओं का क्रय करने में समर्थ है। मुद्रा की क्रयशक्ति सरकारी बैंक द्वारा उसके बदले में धारित की गई प्रतिभूति के समकक्ष होती है। जितनी प्रतिभूति के लिए कोई मुद्रा निगमित की जाती है, उतनी ही मूल्यवत्ता अथवा क्रयशक्ति उस मुद्रा में सन्निहित होती है। स्पष्ट है कि मुद्रा का मूल्यांकन दो तलों पर होता है– प्रथम तल वह है, जिस पर मुद्रा की स्वयं की वस्तुगत मूल्यवत्ता देखी जाती है; दूसरा तल वह है, जिस पर मुद्रा की क्रयशक्ति देखी जाती है। यदि सरकार द्वारा प्रतिभूति स्वीकृत करके मुद्रा प्रचालित की जाए अथवा जितनी मुद्रा जारी की जाती है, उसके बदले में सरकार स्वतः प्रतिभूति धारण करे, तो ऐसी प्रत्याभूत मुद्रा को वस्तुगत मूल्य धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु यहाँ पर यह भी अनुशंसित है कि किसी सामान्यतः स्थिर मूल्य वाले मानक तत्त्व, जैसे– एक ग्राम चाँदी या सोने की एक निश्चित मात्रा को स्वीकार करके मुद्रा का मौद्रिक मूल्य ग्रहण किया जाए। यह घोषित मौद्रिक मूल्य होगा, जो मुद्रा के अपने वस्तुगत मूल्य से असम्बद्ध होगा। यह घोषित मौद्रिक मूल्य लेन–देन को सरल बनाने में सुविधाजनक होगा।*

प्रश्न-16 : आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत बाजार में मुद्रा की स्वीकार्यता का आधार क्या होगा?

उत्तर-16 : *मुद्रा प्रचालन संस्थान की विश्वसनीयता ही आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा की स्वीकार्यता का आधार होती है। मुद्रा प्रचालन संस्थान की विश्वसनीयता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण है– प्रतिभूति पर आधारित मुद्रानिगमन। यदि मुद्रा जारी करने के लिए मुद्रा प्रचालन संस्थान द्वारा उसके समकक्ष प्रतिभूति प्राप्त की जाती है, तो मुद्रा की स्वीकार्यता बाजार में बनी रहती है। किन्तु प्रतिभूति के बाजारमूल्य से अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करने पर संस्थान की विश्वसनीयता क्षीण होती है। अतः मुद्रा निगमन संस्थान को मुद्रा जारी करते समय समकक्ष प्रतिभूति की माँग करनी चाहिए। यदि जारी किए जानेवाली मुद्रा के समकक्ष बाजारमूल्य वाली प्रतिभूति के विना मुद्रा जारी करी जाती है, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसीप्रकार यदि प्रतिभूति की अनुमानित मूल्यवत्ता से न्यून मात्रा में मुद्रा जारी करी जाती है, तो बाजार में मुद्रासंकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन दोनों ही स्थितियाँ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अतः न्यायशील मुद्रा निगमन संस्थान का यह कर्तव्य है कि वह मुद्रा जारी करने से पूर्व उसके समकक्ष बाजारमूल्य वाली प्रतिभूति की माँग अनिवार्य रूप से करे तथा अपने मुद्रा निगमन रजिस्टर में डेबिटपक्ष और क्रेडिटपक्ष को संतुलित बनाए रखे। यह डेबिट–क्रेडिट संतुलन ही संस्थान की न्यायशीलता का प्रमाण है। इस संतुलन को निरंतर बनाए रखना मुद्रा निगमन संस्थान का कर्तव्य है। ऐसा न करनेवाला संस्थान राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर डालता है। मुद्रासंकुचन से आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न होता है तथा मुद्रास्फीति से मुद्रा निगमन संस्थान अथवा सरकार पर दिवालिया होने का खतरा उत्पन्न होता है एवं उस संस्थान या सरकार की विश्वसनीयता में गिरावट आती है, जिससे बाजार में मुद्रा की स्वीकार्यता प्रभावित होती है।*

प्रश्न-17 : आंकिक मुद्रा प्रचालन में बैंकों अथवा सरकार की क्या भूमिका होगी?

उत्तर-17 : *आंकिक मुद्रा प्रचालन के लिए एक मौद्रिक संस्थान की आवश्यकता होती है। आवश्यकतानुसार इस संस्थान की शाखाएँ पूरे राष्ट्र में खोली जा सकती हैं। इस संस्थान के लिए सरकारी वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे मौद्रिक संस्थान द्वारा अपना इण्टरनेट सर्वर स्थापित करके उसके माध्यम से सभी खाताधारकों के मौद्रिक लेन–देन का संचालन किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को उस मौद्रिक संस्थान में अपना खाता धारण करना अनिवार्य होगा। कोई भी लेन–देन एक खाते से दूसरे खाते में लेखांकन पद्धति द्वारा स्वतः दर्ज होता रहेगा तथा प्रत्येक लेन–देन का रिकार्ड कई–कई वर्षों तक भी स्टोर करके रखा जा सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी लेन–देन की जाँच–पड़ताल भी की जा सकेगी। इसके द्वारा सभी मौद्रिक अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। लेखे या खाते के माध्यम से ही आंकिक मुद्रा के सभी लेन–देन सम्पन्न होते हैं। अतः किसी भी प्रकार का मौद्रिक व्यवहार बैंकों अथवा सरकारी अधिकोषालयों के माध्यम से ही संचालित हो सकता है, जिससे आंकिक मुद्रा प्रचालन में बैंकों अथवा अधिकोषालयों अथवा मौद्रिक संस्थानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रमाणित होती है।*

प्रश्न-18 : आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर नागरिकों द्वारा मौद्रिक लेन-देन किसप्रकार किया जाएगा?

उत्तर-18 : *निश्चय ही आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी लेन–देन बैंकखातों के माध्यम से ही संभव होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आंकिक मुद्रा प्रचालन हेतु अधिकृत बैंक में एक विशेष खाताक्रमांक प्राप्त होगा। उस खाते में जमाराशि तक कोई भी लेन–देन सरलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक लेखांकन पद्धति के अन्तर्गत कम्प्यूटर, मोबाइल, ई–टैब, ई–पैड या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक ट्रांजैक्शन मशीन अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से मौद्रिक लेन–देन किया जा सकेगा। एक छोटे से साफ्टवेयर के द्वारा मौद्रिक लेन–देन की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकेगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने खाताक्रमांक के लिए एक विशेष 'पासवर्ड कोड' धारण कर सकेगा। अपना कोड समय–समय पर परिवर्तित भी किया जा सकता है तथा उसे गोपनीय भी बनाए रखा जा सकता है। किन्तु इसकी गोपनीयता भंग होने पर कोई विशेष जोखिम की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसके खाते से किया जानेवाला कोई भी अवैध लेन–देन (Illegal Transaction) तुरन्त पकड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से किए जानेवाले लेन–देन के लिए प्रयुक्त साफ्टवेयर एप्लीकेशन के मुखपृष्ठ पर मात्र तीन कालम प्रयुक्त हो सकते हैं– भुगतान करनेवाले का खाताक्रमांक, भुगतान पानेवाले का खाताक्रमांक तथा भुगतान की राशि। इन तीनों कालमों को भरकर ओ0के0 का बटन दबाते ही मौद्रिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तथा एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि अन्तरित (Transfer) हो जाएगी। अपना पासवर्ड डालकर अपने खाते की शेष राशि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। इसप्रकार से आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा सभी मौद्रिक व्यवहार बड़ी सरलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकेंगे।*

प्रश्न-19 : सरकार में राजनैतिक एवं प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए भ्रष्टाचार करनेवाले, कालाधन रखनेवाले तथा नकलीमुद्रा एवं टैक्सचोरी करनेवाले अथवा अन्य मौद्रिक अपराध करनेवाले लोग आंकिक मुद्रा प्रणाली को क्यों लागू होने देंगे?

उत्तर-19 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली वर्तमान की आवश्यकता एवं भविष्य की यथार्थता है। जैसे राजव्यवस्था में विगत 200 वर्षों में लोकतन्त्र ने वंशतन्त्र को समाप्त कर दिया। राजनैतिक पदों पर बलपूर्वक, वंशपूर्वक, दलपूर्वक एवं गुणपूर्वक बैठने की क्रमशः चार व्यवस्थाएँ हो सकती हैं। राज्य का नेतृत्व और प्रशासन यदि पात्रतानुसार पदनियुक्ति की न्यायशील व्यवस्था पर आधारित हो, तो समाज या राष्ट्र में गुणात्मक लोकतन्त्र प्रतिष्ठित हो जाता है। तब किसी को बलपूर्वक, वंशपूर्वक या दलपूर्वक पदाधिकारी बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। हमारी सामाजिक या राष्ट्रीय जीवनधारा प्रवाहित होते हुए बल और वंश से ऊपर दल तक पहुँच गई है। अब दल का शासन है। समस्त सरकारी पदों पर दलों का प्रभुत्व है। बलवाद और वंशवाद के दिन गुजर गए, अब दलवाद चल रहा है। दलवाद को गुणवाद तक पहुँचने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। लोकतन्त्र अब गुणात्मक होकर रहेगा, जिसे हम गुणतन्त्र कह सकते हैं, क्योंकि यह वरीयताक्रम पर आधारित होता है। लोकजीवन व्यवस्था में पात्रतानुसार पदनियुक्ति का न्याय अब प्रतिष्ठित होकर रहेगा। अतः अपराधियों को समाज में नेतृत्व और प्रशासन में प्रविष्ट होने का अवसर शेष नहीं रहेगा। नेतृत्व में दलवाद के स्थान*

पर गुणवाद प्रतिष्ठित होते ही आंकिक मुद्रा प्रणाली स्वतः लागू हो जाएगी।

ज्ञान-विज्ञान के विकास का प्रवाह आज एक ऐसे स्थान पर पहुँच चुका है, जहाँ पर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ज्ञान-विज्ञान के आविष्कार हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होते जा रहे हैं। उनके विना हमारा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जीवन अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता। आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने जीवन को सरल, सहज एवं सुविधायुक्त बना दिया है। जीवन को सरलता, सहजता, सुविधायुक्तता ही सुखद बनाती है। सभी प्राणियों में सुख की प्यास स्वाभाविक रूप से पायी जाती है। संसार में कोई भी प्राणी दुःखी नहीं होना चाहता। कष्ट भोगना किसी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए दुनिया के सभी मनुष्यों ने विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को तहेदिल से स्वीकार किया है। अतः यदि किसी भी राष्ट्र के कर्णधार यदि न भी चाहें तो भी उन्हें आधुनिक विज्ञान की इस सुविधा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आंकिक मुद्रा प्रणाली को लागू करना आज के इलेक्ट्रानिक युग में बिल्कुल सरल हो गया है। अपराधी वर्ग कब तक बहानेबाजी करके इस आंकिक मुद्रा प्रणाली से बच सकेगा! यदि अभी तुरन्त इस प्रणाली को स्वीकार न किया गया, तो आनेवाले चन्द वर्ष इस प्रणाली को अपनाने के लिए सम्पूर्ण मानवजाति को विवश कर देंगे। अतः इस आंकिक मुद्रा प्रणाली से बचना असंभव है। 'डाक' ईमेल में विलीन हो जाएगी। 'नगदी' आंकिक मुद्रा प्रणाली में विलीन हो जाएगी। कागज का प्रयोग स्वतः न्यून होते हुए समाप्त हो जाएगा। कागज के लिए पेड़ों का कटना स्वतः रुक जाएगा। पृथ्वी का पर्यावरण स्वतः संतुलित हो जाएगा। संसार की प्राकृतिक चिकित्सा प्रारम्भ हो गई है। आधिदैवत जगत् सक्रिय हो गया है। प्रकृति इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाकर रहेगी। मनुष्यों में आपराधिक दैत्यता के स्थान पर सकारात्मक देवत्व का उदय होने लगा है। अपराधियों की भीड़ छँटने लगेगी। जगत् के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रत्यावर्तन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। धरती पर से दुःखों, कष्टों, संकटों, आतंकों, उपद्रवों का समापन होकर रहेगा। ज्ञान-विज्ञान की प्रयोगशालाओं ने मानवसमाज में उस दिव्यता का द्वार खोल दिया है, जिससे अब लोगों का यह शुभ संकल्प चरितार्थ अवश्य होगा- ***'मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान । यही संकल्प हमारा यही संकल्प हमारा ।।'***

प्रश्न-20 : क्या आंकिक मुद्रा प्रणाली न चाहते हुए भी दुनिया के सभी राष्ट्रों में स्वतः लागू हो सकती है?

उत्तर-20 : *निश्चित रूप से हाँ! समय की धारा अब इसे स्वतः लागू कर देगी। यदि सरकारी क्षेत्र आपराधिक प्रवृत्ति के कारण इसे लागू नहीं करेगा, तो निजीक्षेत्र इसे स्वतः ग्रहण कर लेगा। धीरे-धीरे लोग धातुमुद्रा या कागजीमुद्रा स्वतः अस्वीकार कर देंगे। लोगों को ये स्थूल मुद्राएँ बोझ की भाँति प्रतीत होने लगेंगे। जैसे वस्तुमुद्रा का प्रचलन धातुमुद्रा के कारण समाप्त हो गया था और धातुमुद्रा का प्रचलन कागजीमुद्रा के कारण धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसीप्रकार से कागजीमुद्रा का प्रचलन आंकिकमुद्रा के कारण स्वतः समाप्त हो जाएगा। संसार एक क्रमविकास के सिद्धान्त से आगे बढ़ रहा है। आंकिकमुद्रा का प्रचलन संसार में प्रारम्भ हो चुका है। धीरे-धीरे*

कागजीमुद्रा स्वतः छपनी बन्द हो जाएगी, उसे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि आंकिकमुद्रा की तुलना में कागजीमुद्रा को गिनना, रखना, सँभालना एवं लेन-देन करना अधिक कष्टप्रद है। कठिन को सरल बनाना ही मनुष्य का मूल स्वभाव है। यह पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से ट्रेन, ट्रेन से हवाईजहाज तक इस स्वभाव के कारण ही पहुँचा है। आंकिक मुद्रा प्रणाली मानवजीवन की मौद्रिक व्यवस्था का सरलतम विकल्प है। इस सरल, सहज सुविधा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वतः करने लगेगा। सरकारी छल-कपट अधिक देर तक इसे रोक नहीं सकेगा। निजीक्षेत्र धीरे-धीरे इसे स्वतः ग्रहण करता चला जाएगा। आनेवाले चन्द वर्षों में यह प्रणाली स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएगी। अतः बुद्धिमानों से निवेदन है कि इसे अविलम्ब स्वीकार करके मानवजीवन को कठिनाई से सरलता की ओर ले जाएँ। अन्यथा समय का प्रवाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा।

प्रश्न-21 : क्या समाज या राष्ट्र से आर्थिक अपराधों को आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनाकर समाप्त किया जा सकता है?

उत्तर-21 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली निश्चित रूप से समाज या राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों का पूर्णतः नियंत्रण करने में सक्षम है। आर्थिक या मौद्रिक अपराध ही वास्तव में मानवसमाज की सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक अपराधों के कारण ही किसी राष्ट्र में पतन एवं पराभव उत्पन्न होता है। यदि हम अपने समाज या राष्ट्र को उत्थान और प्रभुत्व के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें इन आर्थिक अपराधों को नियन्त्रित करना होगा। किसी भी समाज या राष्ट्र में अपराधों के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मनोरोग के कारण ही मनुष्य अपराध करने को उद्यत होता है। मनोरोग के पीछे कुसंस्कार होते हैं। कुत्सित संस्कृति ही कुसंस्कार को जन्म देती है। सांस्कृतिक पतन हुए विना प्राणियों की प्रकृति में दोष उत्पन्न नहीं होता। सांस्कृतिक पतन का मूल कारण है- सुसभ्यता का अभाव। सभ्यता जब पतित होकर कुसभ्यता का रूप ले लेती है, तभी सांस्कृतिक पतन प्रारम्भ होता है। सैद्धान्तिक दोष से सभ्यता के विधि-विधान अथवा नियम, नीति, निर्णय प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे न्यायशीलता समाप्त हो जाती है। दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित सत्यात्मक न्यायशील नियम, नीति, निर्णय ही सुसभ्यता को जन्म देते हैं। दार्शनिक सिद्धान्त की शिक्षा के विना मनुष्यों के सकारात्मक मन का विकास नहीं होता। मन को सुमन बनाने के लिए सुदर्शन की शिक्षा चाहिए। दर्शन वह विषय है, जो मनुष्यों के मन को परिष्कृत करता है। जगत् की यथार्थता का बोध ही दर्शन का मूल उद्देश्य है। यदि हमें सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनना है, तो हमें 'सुदर्शन' की शिक्षा अपनानी होगी। यदि हम शुद्ध मौद्रिक या आर्थिक संसाधन एवं समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और सिद्धान्त को शुद्ध करना होगा। उसे दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना होगा। संसाधनों की लूटपाट, छीनझपट आदि की सभ्यता ही मनुष्यों को अपराधी बनाती है। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि संसार के सभी पदार्थ एक ही ईश्वरीय ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। इसे ही* ***'थ्योरी आफ रिलेटिविटी'*** *के नाम से जाना जाता है। यही वह चिरपुरातन दर्शन है, जो* ***'विश्व-बन्धुत्वम्'*** *और* ***'वसुधैव-कुटुम्बकम्'*** *की सभ्यता*

*का उद्घोष करता है। यह दार्शनिक सिद्धान्त कहता है–**'जो एक है, वही दूसरा है।'** अतः जो एक का हिताधिकार है, वही दूसरे का हिताधिकार है। समुचित हिताधिकारों का निर्णय ही न्याय है। ऐसे समुचित नियम, नीति, निर्णय ही न्याय के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करते हैं। हमारा सिद्धान्त, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे संसाधन तभी शुद्ध हो सकते हैं, जबकि हमारा दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो। हम जब तक ज्ञान–विज्ञान सम्मत सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएँगे, तब तक हम सुसभ्य समाज को जन्म नहीं दे सकते और तब तक मनुष्यों को अपराधी बनने से नहीं रोका जा सकता। हमें न्यायसिद्धान्त पर आधारित एक सुसभ्य समाज एवं सुराष्ट्र की आवश्यकता है, जो मनुष्यों में आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म नहीं देता हो। एक न्यायशील सुसभ्य समाज में उत्पन्न होनेवाला सुराष्ट्र ही अपने नागरिकों के न्यायशील चारों जनाधिकारों को अभिस्वीकृत एवं संप्रतिष्ठित करता है। विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्राप्ति के चारों जनाधिकार मानवजीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। इन चारों जनाधिकारों से ही गुण, धन, सुख, स्वास्थ्य प्राप्ति के चारों मानवाधिकारों की रक्षा हो सकती है। इसी से मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों की प्रवृत्ति होती है, जिससे मानवजीवन सार्थक सिद्ध होता है। परिश्रम को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थविहीन लोग ही अपराधी होते हैं। परिश्रम किए विना फल पाने की चेष्टा ही अपराध है। पहले कर्म करो, तब फल प्राप्त करो। यही न्याय है। इस सर्वसामान्य न्याय का उल्लंघन करनेवाले ही अपराधी हो जाते हैं। यह न्यायशीलता मनुष्य को कर्मवादी बनाती है, फलवादी नहीं। कर्मवादी मनुष्य उतना ही फल चाहता है, जितना उसने कर्म किया है। इससे अधिक फल की इच्छा ही भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य आर्थिक अपराधों जैसे– चोरी, लूट, डकैती, घूसखोरी आदि को जन्म देती है। तथापि आंकिक मुद्रा प्रणाली इन सभी आर्थिक अपराधों को रोकने में पूर्णतः सक्षम है।*

प्रश्न-22 : राष्ट्र में आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर धन की गोपनीयता कैसे रह पाएगी? क्या धन एवं सम्पदा की गोपनीयता भी भ्रष्टाचार, कालाधन, टैक्सचोरी आदि अपराधों की वृद्धि में सहायक है?

उत्तर-22 : *गुप्तधन ही 'कालाधन' कहलाता है। गुप्त सम्पदा ही काली सम्पदा कही जाती है। किन्तु काले कारनामों में लिप्त होना ठीक नहीं। चोरी या भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित धन व सम्पदा को ही गुप्त रखने की इच्छा होती है। अब तो चुनाव आयोग भी नेताओं को अपनी धन–सम्पत्ति का विवरण प्रकाशित करने की अनिवार्यता लागू कर चुका है। अतः गुप्तधन की कलुषित परम्परा अब अधिक समय तक नहीं ठहर सकेगी। पापियों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। जिस समाज में धन को गुप्त रखना पड़े, उस समाज से अधिक अच्छा जंगल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। जिसमें पारस्परिक हितों की सुरक्षा हो, वही समाज सभ्य हो सकता है। पारस्परिक हितों की समुचित सुरक्षा ही राष्ट्र में न्यायशीलता का लक्षण है। अतः धन को गोपनीय रखने के बजाय हमें अपनी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्था को न्यायशील बनाना होगा, जिससे किसी के मौद्रिक या आर्थिक हितों की हानि न हो। किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के समुचित हितों का नाश करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए*

सुरक्षाव्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है, धन को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। आभूषण पहनने के लिए होते हैं, छिपाने के लिए नहीं। धन उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है, छिपाने के लिए नहीं। छिपा हुआ धन समाज को प्रगतिशील और समृद्ध नहीं बना सकता। जिस समाज में धन को छिपाना, दबाना, गाड़ना पड़े, वह समाज प्रगति नहीं कर सकता। सुरक्षाव्यवस्था के लिए ही राष्ट्र का उदय हुआ है। राष्ट्रीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व है कि वह सभी नागरिकों के अधिकार, धन, मान, जीवन आदि की रक्षा करे तथा लोगों को लुटने-पिटने से बचाए। अतः लुटने-पिटने के भय से धन को गुप्त रखने के बजाय हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्था ठीक करनी चाहिए।

प्रश्न-23 : राष्ट्र में आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से आर्थिक भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा?

उत्तर-23 : *आर्थिक भ्रष्टाचार में मौद्रिक लेन-देन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किसी न किसी तल पर प्रतिष्ठित रहती है। मौद्रिक लेन-देन यदि नगद हो, तो इस लेन-देन का कोई प्रमाण नहीं रहता। जबकि आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत नगद रूप में मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मुद्रा एक काल्पनिक इकाई के रूप में ही चलती है तथा प्रत्येक नागरिक को एक बैंकखाता अनिवार्य रूप से धारण करना पड़ता है, जिससे किसी भी मौद्रिक लेन-देन का रिकार्ड दर्ज होता है। बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में स्थांतरित किए विना कोई भी मौद्रिक लेन-देन संभव नहीं होता। यही आंकिक मुद्रा प्रणाली की विशेषता है। नगद धन का प्रत्यक्ष लेन-देन न होने पर किन्हीं दो पक्षों के खातों के माध्यम से मौद्रिक लेन-देन प्रचलित होता है, जिससे विगत वांछित वर्षों तक के सभी लेन-देन प्रामाणिक रूप से विद्यमान रहते हैं। किसी भी अवैध या अनैतिक लेन-देन की जाँच तुरन्त संभव होती है। अतः किसी भी अनुपार्जित धन की प्राप्ति को तुरन्त पहचाना जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी धन की चोरी, घूसखोरी या भ्रष्टाचार को छिपकर नहीं किया जा सकता। सभी मौद्रिक लेन-देन स्पष्ट रूप से लेखांकित होने के कारण अपनी कहानी खुद कह देते हैं कि हमारा आवागमन किस खाते से किस खाते मे हुआ है। आंकिक मुद्रा प्रणाली की यह लेखांकन पद्धति सर्वतोभावेन प्रमाणमयी होती है अर्थात् प्रत्येक मौद्रिक लेन-देन अथवा कोई भी आर्थिक व्यवहार इस प्रणाली से अछूता नहीं रह सकता। मौद्रिक लेन-देन प्रामाणिक होने के साथ-साथ वस्तुओं के लेन-देन की प्रामाणिकता में भी यह प्रणाली सहायक है, क्योंकि किसी भी वस्तु को कभी न कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रय-बिक्रय के माध्यम से हस्तांतरित होना पड़ता है और इन वस्तुओं के क्रय-बिक्रय को केवल मौद्रिक व्यवहार द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सभी वस्तुएँ आंकिक मुद्रा प्रणाली की लेखांकन पद्धति में स्वतः दर्ज होती रहती हैं, जिससे मौद्रिक हस्तांतरण के बजाय वस्तुओं के लेन-देन द्वारा भ्रष्टाचार करने की चेष्टा भी व्यर्थ हो जाती है।*

प्रश्न-24 : आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से कालाधन कैसे नियन्त्रित होगा?

उत्तर-24 : *कालेधन का निर्माण डकैती, चोरी, घूसखोरी या अन्य आर्थिक भ्रष्टाचार के विना संभव नहीं है। कोई ऐसा धन एवं सम्पदा जिसे न्यायोचित रूप से उपार्जित हुआ सिद्ध न करी जा सके, वही कालेधन के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, क्योंकि उसे खुलकर सामने नहीं रखा जा सकता। लोगों और नियम, कानून आदि के द्वारा वह प्रशंसित नहीं हो सकता।*

अतः उसे छिपाकर रखना पड़ता है। छिपाकर अँधेरे में रखा गया धन ही कालाधन कहलाता है। कालेधन के निर्माण में मुख्यतः अलेखांकित नगदधन की भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त कालाधन स्थूल सम्पदाओं के रूप में भी निर्मित हो सकता है, जिसे छिपाकर रखा गया हो। कालेधन के निर्माण में नगदी या अन्य स्थूल सम्पदाओं की गोपनीयता ही मूल कारण है। धन को गोपनीय रखने की स्वतन्त्रता को ही कालेधन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभानेवाली मानना चाहिए। पारदर्शिता की व्यवस्था के अभाव में ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को धन–सम्पत्ति की गोपनीयता का अवसर या अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसका लाभ उठाकर कालेधन का निर्माण करने में वे सफल हो जाते हैं। किन्तु 'आंकिक मुद्रा प्रणाली' में सभी प्रकार के मौद्रिक लेन–देन लेखांकित होने के कारण पूर्णतः पारदर्शी होते हैं, जिससे राष्ट्र के किसी भी नागरिक को कालेधन के निर्माण का कोई अवसर या अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। आंकिक मुद्रा प्रणाली राष्ट्र में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बना देती है, जिसमें आपराधिक गोपनीयता के अवसर उत्पन्न नहीं होते। अतः आर्थिक काले कारनामों को फलने–फूलने का अवसर प्राप्त नहीं होता। नगदधन का कोई स्थूल अस्तित्व न होने के कारण उसे अलिखित रूप से संग्रहित नहीं किया जा सकता और न ही किन्हीं मूल्यवान स्थूल सम्पदाओं को अलिखित रूप से क्रय करके संग्रह करने का कोई अवसर प्राप्त होता है। इसप्रकार से आंकिक मुद्रा प्रणाली कालेधन पर प्रायः 100% नियन्त्रण स्थापित कर लेती है। यदि किसी नागरिक ने किसी भी प्रकार से कालेधन का निर्माण करने की कुचेष्टा करी, तो वह तुरन्त पकड़ में आ जाता है, जिससे इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है, और समाज का नैतिक उत्थान स्वतः होने लगता है।

प्रश्न-25 : आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से नकली मुद्रा पर नियन्त्रण कैसे संभव होगा?

उत्तर-25 : *समाज या राष्ट्र में नकली मुद्रा का प्रचलन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया जाना केवल तभी संभव होता है, जबकि बाजार में प्रत्यक्ष नगद धन के रूप में धातुमुद्रा अथवा कागजीमुद्रा सरकार द्वारा प्रचालित की जा रही हो। प्रत्यक्ष स्थूलमुद्रा के विना उसके समानांतर किसी नकली मुद्रा का प्रचालन नहीं किया जा सकता। आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर बाजार में किसी प्रकार की धातुमुद्रा या कागजीमुद्रा का प्रचलन नहीं होता, अतः उसकी नकल के रूप में उससे मिलती–जुलती किसी मुद्रा को बाजार में नहीं उतारा जा सकता। आंकिक मुद्रा प्रणाली में मौद्रिक लेन–देन किन्हीं दो खातों के बीच लेखांकित रूप से ही संभव होता है। लिखे हुए अंकों के रूप में ही मुद्रा की काल्पनिक सत्ता प्रतिष्ठित रहती है। अतः वह किसी एक खाते से ट्रांसफर हुए विना दूसरे खाते में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। यदि किसी ने कुचेष्टापूर्वक दूसरों के खातों से अधिक मात्रा में धन का अंतरण करने का प्रयास किया, तो लेखांकित प्रमाण के कारण वह तुरन्त पकड़ में आ जाता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी खाते में दर्ज मुद्रा की मात्रा से अधिक लेन–देन नहीं कर सकता। साथ ही प्रत्येक लेन–देन का लिखित प्रमाण होने के कारण वह सदैव जाँच किए जाने योग्य बना रहता है। किसी भी मौद्रिक लेन–देन पर शंका होने पर उसके विगत वांछित समयावधि तक के सभी मौद्रिक व्यवहारों की जाँच की जा सकती है।*

इस लेखांकित प्रमाण को अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेखे में दर्ज प्रविष्टियाँ उसकी कथा का वर्णन स्वतः कर देती हैं। अतः नकली मुद्रा चलाना तो दूर, बल्कि किसी भी रूप में मौद्रिक गबन, घोटाला, हेराफेरी, जालसाजी, चोरी, लूट, अपहरण, छीनझपट के द्वारा भी कोई धन का अनैतिक अर्जन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुद्रा के गुमने, खोने, जेब कटने, नष्ट होने, कटने, फटने, गिरने, लुटने जैसी कोई समस्या शेष नहीं रह जाती। इससे आंकिक मुद्रा प्रणाली की प्रभावशीलता को भलीभाँति समझा जा सकता है।

प्रश्न-26 : आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से टैक्सचोरी कैसे रुकेगी?

उत्तर-26 : *किसी भी रूप में टैक्स का सम्बन्ध मुद्रा से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। सरकारी राजस्व, लगान, चुंगी, ड्यूटी, लेवी, कर या टैक्स आदि के रूप में मौद्रिक धन ही जमा किया जाता है तथा सभी प्रकार के राजस्वादि की गणना किसी आय-व्यय, क्रय-बिक्रय अथवा मौद्रिक लेन-देन पर ही आधारित होता है। तदनुसार आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत सभी लेन-देन अथवा क्रय-बिक्रय आदि मौद्रिक व्यवहार लेखांकित रूप में दर्ज होते रहते हैं, जिससे किसी भी उपार्जन, उत्पादन अथवा आय को किसी भी प्रकार से छिपाना संभव नहीं रह जाता। अतः सरकारी राजस्वादि की गणना बड़ी सरलतापूर्वक अपने वास्तविक स्वरूप में संभव होती है। स्पष्ट है कि आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत खातों की सभी प्रविष्टियाँ लेखांकित रूप से प्रामाणिक होने के कारण वास्तविक होती है, जिसमें टैक्सचोरी आदि की समस्त संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। सरकारी राजस्वादि विभागों द्वारा बड़ी सहजतापूर्वक अपने राजस्वादि की वास्तविक रूप में वसूली की जा सकती है। उसमें किंचित भी हेराफेरी किन्हीं सरकारी पदाधिकारियों अथवा नागरिकों के द्वारा संभव नहीं रह जाती। घूसखोरी द्वारा किसी को टैक्स में छूट नहीं दी जा सकती अथवा टैक्स को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए दोनों ही पक्षों में नैतिकता का विकास होता है।*

प्रश्न-27 : आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से मौद्रिक अपराधों पर नियन्त्रण कैसे स्थापित होगा? क्या यह प्रणाली समाज की नैतिकता का भी उत्थान करेगी?

उत्तर-27 : *अपराधों के पीछे धन की प्रेरणा संनिहित होती है। अधिकांश अपराध धन की लालसा में किए जाते हैं। अपराध करने अथवा करवाने दोनों के पीछे अधिकांश मामलों में धन शामिल होता है, जैसे- सुपारी देकर किसी की हत्या करवाना। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें कुछ पैसों का लालच देकर लोगों को अपराध के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा धन-सम्पत्ति की लूट के उद्देश्य से हत्या, मारकाट, छलकपट, षड़यन्त्र, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि के रूप में अपराध प्रकट होते हैं, जो प्रायः 90% की संख्या तक धन से प्रेरित होते हैं। यदि धन धातुमुद्रा या कागजीमुद्रा के रूप में स्थूल अस्तित्व धारण न करता हो, तो धन का गुप्त लेन-देन संभव नहीं हो सकता। धन के गुप्त लेन-देन के विना अपराध नहीं किए जा सकते। आंकिक मुद्रा प्रणाली में धन का कोई स्थूल रूप न होने के कारण भले या बुरे किसी भी उद्देश्य से धन का आदान-प्रदान संभव नहीं होता, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति को सक्रिय होने का अवसर प्राप्त नहीं होता। आंकिक मुद्रा प्रणाली में कोई भी लेन-देन लिखित रूप में ही करना पड़ता है। अतः प्रत्येक कार्य के लिए किए जानेवाले ६*

ान के लेन–देन का लिखित प्रमाण विद्यमान रहने के कारण अपराधियों के पकड़े जाने का जोखिम बना रहता है। अतः वे सहज ही अपराध करने को तत्पर नहीं होते। यदि किसी ने यह कुचेष्टा करी भी, तो वह अतिशीघ्र पकड़ा जाता है और तुरन्त दण्ड का भागीदार होता है, क्योंकि इसके लिए किसी अन्य प्रमाण अथवा साक्षी की आवश्यकता नहीं रह जाती। धन के लेन–देन का लिखित प्रमाण संसार में सभी प्रकार के मुकदमों को अतिशीघ्र निपटान में महत्त्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाता है। स्पष्ट है कि आंकिक मुद्रा प्रणाली मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्ति को भी नियन्त्रित करती है, जिससे समाज या राष्ट्र में मनुष्यों के नैतिक उत्थान में सहायता मिलती है।

प्रश्न-28 : सरकार द्वारा आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू करने की व्यवस्थागत कानूनी प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर-28 : *मौद्रिक निर्धारण, निगमन एवं प्रचालन सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। सरकार द्वारा ये मौद्रिक कार्य मुख्यतः रिजर्व बैंक के माध्यम से किये जाते हैं। यह मौद्रिक नीति का विषय है। मौद्रिक नीतियाँ समय–समय पर वित्तमंत्रालय द्वारा बनायी और लागू की जाती हैं। अतः इसके लिए आवश्यक नहीं हैं कि कोई विधेयक संसद में पेश हो और विधान पारित हो। यह नियम–विधान–कानून का विषय नहीं, बल्कि यह प्रशासन एवं नीति का विषय (Policy Matter) है, और सरकारी वित्तमंत्रालय को नीतिगत फैसले तुरन्त लेने का अधिकार है। वित्तमंत्रालय की ओर से एक अध्यादेश रिजर्व बैंक को जारी करके तत्काल प्रभाव से आंकिक मुद्रा प्रणाली को लागू किया जा सकता है। अतः यह अंकमुद्रा तत्काल प्रभाव से अपने राष्ट्र में लागू हो सकती है। अभी–अभी सरकार ने कागजी नोट के स्थान पर प्लास्टिक मनी चलाने की नीति रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी है। अतः धातुमुद्रा, कागजीमुद्रा या प्लास्टिक मनी के स्थान पर डिजिटल मनी की नीति भी त्वरित अपनायी जा सकती है। इसमें कोई संदेह या कोई बाधा नहीं है और जब इस आंकिक मुद्रा प्रणाली से राष्ट्र में सम्पूर्ण भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराध समाप्त होने सुनिश्चित हैं, तो इसे लागू करने में विलम्ब क्यों ?*

प्रश्न-29 : विद्युत फेल होने, इण्टरनेट सर्वर डाउन होने, मोबाइल आदि उपकरण किसी कारणवश खराब होने पर आंकिक मुद्रा प्रणाली कैसे कार्य करेगी?

उत्तर-29 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली के लागू होने पर मुद्रा प्रचालन प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित नहीं हो सकती, क्योंकि अंक मुद्रा प्रचालन दो प्रकार की पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है– सामान्य लेखांकन पद्धति एवं इलेक्ट्रानिक लेखांकन पद्धति। किसी कारणवश इलेक्ट्रानिक साधनों के फेल होने पर उस समयावधि के लिए सामान्य लेखांकन पद्धति के द्वारा मौद्रिक लेन–देन किया जा सकता है, तथा उस अवधिविशेष के लिए कागजी दस्तावेज पर लेन–देन व्यवहार का लेखांकन करके रखा जा सकता है, तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के सामान्य होते ही इन सभी लिखित प्रविष्टियों को इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। अतः ऐसी किसी आपातकालीन परिस्थिति में भी आंकिक मुद्रा प्रचालन की गति पर कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं होती। आंकिक मुद्रा प्रणाली के*

प्रचालन हेतु मोबाइल, कम्प्यूटर आदि इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के प्रयोग की अनिवार्यता नहीं होती। वर्तमान में किसी भी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन हेतु प्रचलित सभी विधियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं, जैसे- बैंकचेक, बैंकड्राफ्ट, पेआर्डर, मनीआर्डर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड तथा लिखित पत्रों द्वारा भी अपने बैंकखाते से अन्य बैंकखाते में सभी प्रकार के लेन-देन आंकिक मुद्रा प्रणाली में भी संभव होते हैं।

प्रश्न-30 : क्या आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने से देशी-विदेशी बैंकों या अन्य प्रकार से छिपाकर रखे गए कालेधन को सरकार द्वारा जब्त करने या उसे राष्ट्रीय सम्पदा घोषित करने की आवश्यकता पड़ेगी?

उत्तर-30 : *आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने के पश्चात् किसी भी राष्ट्र में भ्रष्टाचार या कालेधन की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अतः धन का दुरुपयोग स्वतः रुक जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाती है। गतिशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि स्वतः बढ़ने लगती है, जिससे नागरिकों में धन के प्रति अनावश्यक आसक्ति एवं संग्रह की प्रवृत्ति का जन्म नहीं होता। दूसरी ओर यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि धन चाहे राज्यसत्ता के पास हो अथवा नागरिकों के पास, अर्थव्यवस्था दोनों ही सम्पदाओं के द्वारा विकासमान हो सकती है, यदि उसे छिपाकर या दबाकर न रखा जाए। आंकिक मुद्रा प्रणाली में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पारदर्शी होने के कारण कोई भी धन छिपने या दबने नहीं पाता और न ही किसी को धन छिपाने या दबाने की आवश्यकता अनुभव होती है। अतः सम्पूर्ण धन-सम्पदा खुलकर प्रयुक्त होने लगती है, चाहे वह सामान्य जनों के पास हो अथवा राजकीय सत्ताओं के पास हो। दोनों ही खुलकर विनियोग करते हैं। काले और श्वेत धन के भेद समाप्त हो जाते हैं। सम्पूर्ण धन एक प्रकार का शुद्ध होकर प्रत्यक्षरूप से प्रवाहमान बना रहता है। अप्रत्यक्ष काले धन का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। अतः आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू करते ही सरकार को चाहिए कि वह सभी प्रकार की धनसम्पदा को पारदर्शी बनाने के लिए उनके लेखांकन की स्वतन्त्रता प्रदान करे तथा विगत आर्थिक अपराधों के द्वारा जमा की गई अथवा दबा-छिपाकर रखी गई धनसम्पदाओं को समस्त नागरिकों के लिए अपने बैंकखातों में खुलकर लेखांकित कराने की अनुमति प्रदान करे, जिससे कि अनुपयोगी सम्पत्तियाँ उपयोगी सिद्ध हो जाएँ तथा सभी प्रकार के उद्यमों में उनका विनियोग होने लगे, जिससे उत्पादन की वृद्धि हो, और रोजगार के ढेरों अवसर प्रकट हों। इसलिए सरकार के द्वारा किसी काले-नीले धन एवं सम्पदा को जब्त करने अथवा उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, बल्कि इससे धनसम्पदा को खुलकर सामने आने में बाधा पड़ेगी। लोग अपने काले धनसम्पदा को छिपाने में ही अपनी सम्पूर्ण बुद्धि लगा देंगे, ताकि सरकार द्वारा उसे जब्त किए जाने से बचाया जा सके। धनसम्पत्ति केवल धनसम्पत्ति है, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैरसरकारी। आवश्यकता यह है कि वह सार्वजनिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।*

प्रश्न-31 : क्या आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर राष्ट्र में मँहगाई की समस्या का भी समाधान होगा? बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर-31 : *राष्ट्र में आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु यह प्रणाली प्रतिष्ठित होने पर टैक्सचोरी,*

कालाबाजारी, जमाखोरी, धोखाधड़ी, तस्करी आदि पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित होगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में सरकार को टैक्स प्राप्त हो सकेगा, तथा वस्तुओं के अप्राकृतिक मूल्य भी नियन्त्रित होंगे। अतः विविध प्रकार की सामान्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकार को टैक्स की वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी, तथा बढ़े हुए टैक्स भी सरकार द्वारा घटाए जा सकेंगे। अतः राजस्व, लगान, टैक्स, ड्यूटी, लेवी आदि के घटने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में गिरावट आएगी, जिससे बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं की सस्ती सुलभता संभव हो सकेगी। अतः अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रणाली मँहगाई को प्रभावित करेगी और उसे नियन्त्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रणाली द्वारा मँहगाई पर नियन्त्रण का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि समाज में कालेधन का निर्माण इस प्रणाली के कारण रुकेगा, जिससे नागरिकों की क्रयशक्ति में वृद्धि होगी। फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मँहगे होने की अनुभूति नहीं होगी। जबकि क्रयशक्ति क्षीण होने से सस्ती वस्तुएँ भी क्रेताओं को मँहगी अनुभव होती हैं, किन्तु क्रयशक्ति पर्याप्त मात्रा में समर्थ होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करना सरल एवं सस्ता अनुभव होता है। कालेधन के कारण समाज में समुचित धन का वितरण नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास धनसंग्रह विशाल रूप धारण कर लेता है, तो दूसरी ओर धन का अभाव उत्पन्न होने लगता है। धनाभाव से ग्रस्त लोगों की क्रयशक्ति क्षीण होती है, जिससे उन्हें सस्ती वस्तुएँ एवं सेवाएँ भी मँहगी प्रतीत होती हैं। आंकिक मुद्रा प्रणाली इस कालेधन की समस्या को पूर्णतः समाप्त कर देती है, जिससे मँहगाई पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न-32 : क्या आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर मौद्रिक भ्रष्टाचार संभव नहीं होगा, तब लोग सोना-चाँदी जैसी मूल्यवान धातुओं को भ्रष्टाचार और कालेधन के लिए प्रयोग नहीं करेंगे?

उत्तर-32 : *राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर किसी भी वस्तु का प्रयोग भ्रष्टाचार या कालेधन के लिए करना कदापि संभव नहीं होगा, क्योंकि यह तभी संभव है, जबकि मुद्रा का कोई स्थूल स्वरूप हो। स्थूल मुद्रा के बिना किसी भी वस्तु को अलिखित या अप्रामाणिक रूप से धारण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वस्तु बाजार में क्रय-बिक्रय की सामग्री होती है, तथा वस्तुओं का स्वामित्व बाजार में क्रय-बिक्रय द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक वस्तु कभी न कभी क्रय-बिक्रय के लिए बाजार में प्रस्तुत होती है। इस बाजारप्रक्रिया से गुजरने के कारण उस वस्तु का मौद्रिक मूल्यांकन होता है, तथा उसके मूल्य का भुगतान उसके क्रेता द्वारा उसके बिक्रेता को किया जाता है। बाजार में क्रय-बिक्रय की यह प्रक्रिया प्रत्येक वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण लिखित एवं प्रामाणिक रूप से दर्ज करती है। किसी भी मूल्य का भुगतान क्रेता और बिक्रेता के अधिकोषीय लेखों में परस्पर मौद्रिक हस्तांतरण द्वारा ही संभव होने के कारण आंकिक मुद्रा प्रणाली सभी वस्तुओं के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से दर्ज करके सभी लेन-देन को पारदर्शी बनाती है, जिससे सभी वस्तुओं के स्वामित्व के अधिकारों की प्रामाणिकता बनी रहती है।*

आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर सरकार समस्त नागरिकों (व्यक्तियों, संस्थाओं एवं सत्ताओं) को एक माह का समय देकर अपने स्वामित्व में स्थित समस्त सम्पदाओं की लिखित घोषणा अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी कर सकती है। इस समयावधि में समस्त प्रकार के नगद धन को अपने बैंकखातों में जमा करके आंकिक मुद्रा में रूपान्तरित करने, तथा अपने स्वामित्व की समस्त स्थूल-सूक्ष्म सम्पदाओं को लिखित रूप से घोषित करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समयावधि में की गयी घोषणाओं

पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध, आरोप, शिकायत, मुकदमा, दण्ड, टैक्स आदि से छूट होगी। इस समयावधि में की गयी घोषणाओं को ही अन्तिम आर्थिक स्वामित्व का प्रमाण माना जाएगा। इस समयावधि में की गयी घोषणाओं के पश्चात् यदि कोई नगद धन या स्थूल-सूक्ष्म सम्पदाओं का कोई अलिखित या अप्रामाणिक अस्तित्व प्रकट होने पर उसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा, तथा सरकार द्वारा उसे अधिग्रहित या जब्त किया जा सकेगा। सरकार द्वारा अधिग्रहित या जब्त किए जाने पर उन धनों या सम्पदाओं का उल्लेख सरकारी खाते एवं स्वामित्व में किया जाएगा। इस एक माह की समयावधि के पश्चात् किसी भी अलिखित एवं अप्रामाणिक धन या सम्पदा का रंचमात्र भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। यदि किसी नागरिक द्वारा इस समयावधि में किसी धन या सम्पदा का छिपाव किया गया, तो वह भविष्य में कभी न कभी प्रकट होने पर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएगी। आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत यदि कोई वस्तु बाजार में बिक्रय हेतु प्रस्तुत की जाती है, तो वह लिखित मौद्रिक हस्तांतरण के कारण नागरिकों के लिए प्रामाणिक स्वामित्ववाली हो जाएगी। नागरिकों, संस्थाओं या सत्ताओं द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व का यह घोषणापत्र अथवा सम्पत्तियों के क्रय किए जाने की रसीद को ही स्वामित्व का लिखित प्रमाण माना जाएगा। इस लिखित प्रमाण के अभाव में सरकार द्वारा किसी भी सम्पत्ति को अधिग्रहित करके सरकारी खाते अथवा स्वामित्व में दर्ज करने की व्यवस्था होगी। आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू होने की तिथि पर किसी भी रूप में प्राप्त की गयी सम्पदाओं के स्वामित्व का आधार यह घोषणापत्र ही होगा। इस तिथि के पश्चात् क्रय की गयी सम्पदाओं के लिए क्रयरसीद को स्वामित्व का प्रमाण माना जाएगा।

प्रश्न-33 : जिस राष्ट्र के राजनेता दुष्ट हों, वहाँ पर यह मौद्रिक नीति अपने सात्त्विक एवं न्यायशील रूप में कैसे लागू हो सकेगी?

उत्तर-33 : *विश्व के सभी राष्ट्रों में राजनेता समान रूप से दुष्ट नहीं हैं। आज संसार में लगभग 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं। इन सभी राष्ट्रों की सरकारें अलग-अलग हैं, तथा इन सभी सरकारों की अपनी-अपनी प्रभुसत्ता है। प्रत्येक प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र की अपनी 'मुद्रा' है। किन्तु वर्तमान विश्व के किसी भी राष्ट्र में अभी तक आंकिक मुद्रा प्रणाली (**Digital Currency System**) एवं मौद्रिक व्यवहार में लेखांकन पद्धति (**Accounting Method**) लागू नहीं है, जबकि मौद्रिक लेखांकन पद्धति ही एकमात्र शुद्ध मुद्राप्रचालन पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के प्रयोग से किसी भी प्रकार का मौद्रिक अपराध नियन्त्रित हो जाता है। यह मौद्रिक लेखांकन पद्धति पूर्णतः पारदर्शी एवं प्रामाणिक है, जो सभी प्रकार के मौद्रिक अपराधों को नियन्त्रित करने में पूर्ण समर्थ है। मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर यह बात संसार का प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी भलीभाँति समझ सकता है। संसार में धूर्तों की संख्या 1% से अधिक नहीं है। किन्तु शिक्षा की सुलभता न होने के कारण अधिकांश राष्ट्रों की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या अल्पशिक्षित बनी हुई है। यही उनकी मूर्खता का मूल कारण है। कुशिक्षित लोग धूर्त हो जाते हैं, अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग मूर्ख हो जाते हैं। शुद्ध शिक्षा-संस्कारिता के अभाव में ही समाज या राष्ट्र में मूर्खता एवं धूर्तता का वातावरण उत्पन्न होता है। इनमें से धूर्त लोग ही समाज के अन्य साधारण जनों या मूर्ख लोगों को दास बनाए रखने के लिए दूषित मौद्रिक प्रणाली एवं नीति लागू किए रहते हैं, जिससे साधारण जनता को गरीब, दरिद्र, असहाय बनाए रखते हुए उनका शोषण कर सकें। धूर्तों की यह दैत्यवृत्ति उन्हें दूसरों का शोषण करने की प्रेरणा देती है। किन्तु अब विश्वमानवसमाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जिससे मनुष्यों के मनोबुद्धि का विकास होने लगा है। अब वे हित-अहित, उचित-अनुचित,*

सत्–असत्, भला–बुरा का निर्णय करने में समर्थ होने लगे हैं। अतः अपने हिताधिकारों और धूर्तों के षड़यन्त्रों को समझने की सामर्थ्य का विकास जनसाधारण के मस्तिष्क में प्रकाशित होने लगा है, तथा समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोकजीवन में अब ऐसे सकारात्मक बुद्धि के लोगों का बहुमत सिद्ध होने की स्थिति आ गई है, अतः धूर्तों की धूर्तता या दुष्टों की दुष्टता को राष्ट्र या समाज पर अपना अधिपत्य जमाए रखने के अवसर अब क्षीण होने लगे हैं। अब लोकमत सत्यात्मक एवं यथार्थ न्यायशील अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीतियों के लिए स्वतः निर्मित होने लगा है। न्यायशील नीतियों की समझ और स्वीकारोक्ति समाज में बढ़ रही है। समाज से ही राष्ट्र का जन्म होता है। अतः समाज की यह प्रबुद्धता और भावप्रवणता सत्यात्मक न्यायशीलता के पक्ष में खड़ी होती जा रही है। यह बात ***'न्याय धर्म सभा', हरिद्वार*** *द्वारा न्याय के पक्ष में जनमतसंग्रह अभियान (2006) द्वारा प्रमाणित भी हुई है। अतः न्यायधर्म का सूर्योदय हमारे समाज एवं राष्ट्र में अतिशीघ्र ही होनेवाला है।*

प्रश्न-34 : क्या आंकिक मुद्रा प्रणाली वर्तमान जटिल टैक्स नीति को सरल बना सकती है? क्या यह जनता पर आरोपित सभी प्रकार के करों को एकीकृत कर सकती है?

उत्तर-34 : *वास्तव में एकल कराधान की नीति केवल आंकिक मुद्रा प्रणाली के माध्यम से ही अपनायी जा सकती है। राष्ट्र में आंकिक मुद्रा प्रणाली को लागू किए विना कराधान को बैंकों के साथ सम्बन्धित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंकिक मुद्रा प्रणाली लागू हुए विना प्रत्येक क्रय–बिक्रय, प्रत्येक आय–व्यय आदि बैंकों में दर्ज नहीं हो सकता। आंकिक मुद्रा प्रणाली के अभाव में लोग बैंक से बाहर ही लेन–देन प्रारम्भ कर देंगे, अतः कर अपवंचन (टैक्सचोरी) के अनेक मौके उपलब्ध होंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यायशील कराधान प्रत्येक राष्ट्र की मूल आवश्यकता है। न्याय के विना कोई राष्ट्र सफलतापूर्वक जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्र में आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए, हमें एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जो त्रिकोणीय हो, क्योंकि उत्पादन के सभी तीनों साधनों को उत्पादन पर समान स्वामित्व दिए जाने की आवश्यकता है। श्रम, पूँजी, सुविधा उत्पादन के तीन साधन होते हैं। तदनुसार श्रमिक, पूँजीपति एवं सरकार ही तीन न्यायोचित स्वामी सिद्ध होते हैं। इस न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रत्येक उत्पादन का एक तिहाई भाग राजकोष के लिए मौलिक राजस्व के रूप में माना जाता है। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सरकार का यह एक तिहाई स्वामित्व ही सकल घरेलू उत्पाद के एक तिहाई भाग को राजस्व के रूप में निर्धारित करता है। कराधान की नीति में यह एकमात्र न्यायसंगत 'राजस्व' होता है। यह कराधान अग्रलिखित दो में से किसी भी एक स्तर पर आरोपित किया जा सकता है– कार्यस्थलों में एवं बैंकों में। यदि कराधान को कार्यस्थल पर अपनाया जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई भाग ही राजस्व के रूप में निर्धारित होगा, जिसमें उत्पादन पर लागत एवं लाभ का समावेश होता है। किन्तु यदि आंकिक मुद्रा प्रणाली अपनायी जाती है, तो कराधान बैंकों के स्तर पर ही सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इसे 'बैंक में कर कटौती' या 'टैक्स डिडक्टेड एट बैंक' (टी.डी.बी.) कहा जा सकता है। यह कराधान का सरलतम उपाय हो सकता है, क्योंकि आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक आय–व्यय, प्रत्येक क्रय–बिक्रय, प्रत्येक धन–सम्पदा स्वतः रिकार्ड में दर्ज रहेगी, क्योंकि तब धन का प्रत्येक लेन–देन केवल बैंकों के माध्यम से होगा। आंकिक मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत कोई ध ातु के सिक्कों अथवा कागजी नोटों का प्रचलन नही होगा। अतः एकल कराधान की नीति बैंकों में होने वाले धन के प्रत्येक लेन–देन पर किसी प्रतिशत के रूप में संभवतः 1% या 2%, आसानी से अपनायी जा सकती है। यह प्रतिशत (%) न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में संगणित 'कर‌राशि' जो कि सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई होती है, के*

आधार पर निर्धारित करी जायेगी। यह एकल कराधान की नीति सभी करों जैसे बिक्रीकर, सेवाकर, मार्गकर, उत्पादकर, स्टैम्पड्यूटी, भूमिकर, अन्य राजकोषीय शुल्क एवं सामान्य सार्वजनिक सीमा तक बिजली, टेलीफोन, जल आदि आपूर्ति के बिलों को एकीकृत बना देगी।

प्रश्न-35 : क्या न्यायधर्मसभा लोकतन्त्र में विश्वास करती है? और लोकमत के द्वारा ही इन नीतियों को लागू करना चाहती है?

उत्तर-35 : *न्यायधर्मसभा पूर्णतः लोकतन्त्र में विश्वास करती है, बल्कि लोकतन्त्र को गुणात्मक बनाए जाने का भी प्रतिपादन करती है। गुणात्मक लोकतन्त्र में लोकमत सिद्ध करने से पूर्व पात्रतापरीक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षणों द्वारा सुपात्र सिद्ध होने पर ही लोकमत प्राप्ति हेतु चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होने का समर्थन करती है। पात्रतानुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था ही न्यायशील हो सकती है। पात्रता की उपेक्षा करके न्यायशीलता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अपात्र व्यक्ति पद के कार्यभार को सफलतापूर्वक वहन नहीं कर सकते। अतः विश्व के सभी राष्ट्रों को गुणात्मक लोकतन्त्र की आवश्यकता है।*

विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतन्त्र है, जिसमें लोकमत के आधार पर ही सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था बनती और चलती है। 'लोक' शब्द का अभिप्राय 'सार्वजनिक' से है। 'सार्वजनिक' शब्द का अभिप्राय राष्ट्र के उन सभी नागरिकों से है, जो उसमें निवास करते हैं। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा ही इस लोकतन्त्र का उद्देश्य होता है। सर्वता के विना सत्य सिद्ध नहीं होता। सर्वव्यापकता ही सत्य की परिभाषा है। सत्यात्मक न्यायशीलता में सर्वहितकारिता का लक्षण अनिवार्य है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हिताधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से परिकल्पित लोकतन्त्र लोकमत की अपेक्षा रखता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी लोकतन्त्र होने के कारण लोकमत के आधार पर आर्थिक नीतियों का प्रतिष्ठापन संभव है। अतः न्यायशील अर्थव्यवस्था को राष्ट्र में प्रतिष्ठित करने के लिए लोकमत संग्रह का अभियान न्यायधर्मसभा द्वारा जनवरी, 2006 से ही संचालित किया जा रहा है। न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली सहित अन्य मौद्रिक नीतियाँ भी भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। अतः राष्ट्र की समस्त आर्थिक नीतियों को प्रतिष्ठित करने के लिए लोकमतसंग्रह का ही अवलम्बन लिया जा रहा है। इसके लिए न्यायधर्मसभा द्वारा खुली आनलाइन वोटरमेम्बरशिप वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राष्ट्र के जो नागरिक इन आर्थिक या मौद्रिक नीतियों से सहमत हैं, वे वोटरमेम्बरशिप प्राप्त करके न्यायधर्मसभा के पक्ष में अपना स्पष्ट मत व्यक्त करें। यह वोटरमेम्बरशिप का अभियान खुले मतदान की प्रक्रिया है। न्यायधर्मसभा द्वारा 'मतदाता सदस्यता अभियान' देश के न्यूनतम 51% मतसंग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने तक संचालित किया जाएगा। मतदान 50% से अधिक होने पर न्यायधर्मसभा द्वारा प्रकाशित इन आर्थिक नीतियों के पक्ष में लोकतान्त्रिक बहुमत सिद्ध हो जाएगा। इस बहुमत को चुनाव आयोग एवं सुप्रीमकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके इन नीतियों को लागू करने का आग्रह सरकार से किया जाएगा। इन नीतियों के पक्ष में बहुमत सिद्ध होने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि राष्ट्रीय सरकार अल्पमत में है, और यदि वह इस लोकमत से सहमत नहीं होती, तो उसे पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा। इसप्रकार से न्यायध र्मसभा इस खुली एवं प्रामाणिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से इन नीतियों को लागू करने का प्रयास कर रही है। लोकतान्त्रिक राष्ट्र में लोकमत ही सर्वोपरि होता है। लोकमत के विपरीत खड़ी हुई कोई भी संसद या सरकार स्वयं को नैतिक नहीं प्रमाणित कर सकती। अतः अनैतिक सरकार को हटाने के लिए जनता को स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा। गुप्त मतदान की प्रक्रिया में छल, कपट, षड़यन्त्र, धोखा, बूथकैप्चरिंग आदि जोखिम विद्यमान रहते हैं,

जिससे वास्तविक लोकमत प्रमाणित नहीं हो पाता। अतः न्यायधर्मसभा खुले मतदान की प्रक्रिया द्वारा ही स्वच्छ लोकतन्त्र का समर्थन करती है, क्योंकि गुप्त मतदान सदैव संदिग्ध है। शंकाग्रस्त मतदान से अधिक अच्छा है– खुला मतदान।

प्रश्न-36 : 'न्याय धर्म सभा' हरिद्वार इस न्यायशील मौद्रिक प्रणाली को लागू करने के लिए क्या उपाय कर रही है? इस अभियान की पृष्ठभूमि क्या है?

उत्तर-36 : *हमारे द्वारा क्रमशः व्यक्ति, परिवार, समाज, समष्टि के उद्धार हेतु सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य पर आधारित सात्त्विक एवं वास्तविक धर्म की स्थापना का अभियान 25 सितम्बर, 1990 को जबलपुर, मध्यप्रदेश (भारत) से प्रारम्भ किया गया था। लगभग एक दशक तक जनजागरण अभियान चलाया गया। इसके लिए देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक सभाएँ सम्बोधित करी गयीं। इसी दौरान धर्मसंस्थापन कार्य हेतु कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य भी चलता रहा। दिनांक 25 जनवरी, 1999 को* ***'धर्म संस्थापक संघ'*** *का गठन किया गया। प्राचीन दार्शनिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रतिपादित सत्–सिद्धान्त पर आधारित शाश्वत एवं सनातन धर्म की संप्रतिष्ठा का यह अभियान क्रमशः विगत 22 वर्षों से निरन्तर गतिमान है। दिनांक 01 जनवरी, 2001 को इस सत्धर्म में जनसमाज का प्रवेश प्रारम्भ हुआ। सत्–सिद्धान्त द्वारा प्रणीत सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य की प्रतिष्ठा का यह सात्त्विक एवं पावन अभियान दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को वैधानिक ढंग से ट्रस्ट के रूप में* ***'धर्म संस्थापक संघ'*** *को रजिस्टर्ड कराया गया।* ***'न्याय धर्म सभा'*** *इसी 'धर्म संस्थापक संघ' की एक इकाई है। 'न्याय धर्म सभा' की स्थापना का मूल उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र में न्याय के सत्यात्मक एवं यथार्थ स्वरूप की प्रतिष्ठा करना है। 'न्याय' ही समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक 'धर्म' है। न्याय के विना कोई भी समाज या राष्ट्र सुव्यवस्थित रूप से सुशिक्षित, समृद्ध, सुखी एवं स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी न्याय की स्थापना हेतु संचालित अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 को* ***'न्याय धर्म सभा'*** *हरिद्वार की ओर से राष्ट्रीय नागरिकों के लिए शिक्षा, जीविका, सुविधा एवं संरक्षण प्राप्ति के 4 जनाधिकारों की घोषणा करी गई। इन चारों मूलभूत जनाधिकारों को प्रतिष्ठित करने एवं उसे सम्वैधानिक दर्जा प्रदान करवाने के लिए 08 जनवरी, 2006 को 'जनमतसंग्रह अभियान' प्रारम्भ किया गया। 'न्याय धर्म सभा' द्वारा जनमतसंग्रह के लिए कई टीमों का गठन करके हरिद्वार सहित देश के कई भागों में जनमतसंग्रह का कार्य संपन्न हुआ। यह एक प्रकार का लोकमत सर्वेक्षण भी था। इससे यह स्पष्ट जानकारी प्रामाणिक रूप से उभरकर सामने आयी कि देश के लगभग 99% से भी अधिक लोग इन चारों न्यायशील जनाधिकारों से सहमत हैं। इस राष्ट्रीय न्यायशीलता के प्रतिपादन से असहमत होनेवालों की संख्या नगण्य है। साधारण शब्दों में कहा जाए, तो सम्पूर्ण विश्व की मानवता इस न्यायशीलता से सहमत है, और सम्पूर्ण विश्व को एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र (Universal Nation) के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस बीच 01 जनवरी, 2006 को 'न्याय धर्म सभा' की ओर से एक विशाल न्यायसम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के साधारण नागरिकों के साथ–साथ अनेक बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं सन्तों की उपस्थिति सराहनीय रही। इसी 'न्याय सम्मेलन' में चारों जनाधिकारों की घोषणा करने के पश्चात् इनको परिभाषित करते हुए एवं इनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया गया, जिसे पुस्तिका के रूप में संघ की ओर से प्रकाशित भी किया गया है। पुनः 01 जनवरी, 2007 को द्वितीय*

न्यायसम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य नागरिक एवं सन्त–महात्मा उपस्थित हुए। संघ से जुड़े हुए अनेक सज्जनोचित लोग देश के कई भागों से सम्मेलन में पधारे। जनवरी 1999 से दिसम्बर 2010 तक लगातार सद्ग्रन्थों के प्रतिपादन में अधिकांश समय नियोजित हुआ। पुनः 01 जनवरी, 2011 को तृतीय 'न्यायसम्मेलन' आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई भागों से जुड़े हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इस तृतीय न्यायसम्मेलन में न्यायस्थापना अभियान को सार्वजनिक रूप से संचालित करने की घोषणा करी गई। दिनांक 20 मार्च, 2011 को एक विशेष सभा आमंत्रित की गयी, जिसमें विश्व के 200 से भी अधिक राष्ट्रों को मिलाकर एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना हेतु उसकी नागरिक सदस्यता का अभियान प्रारम्भ किया गया, तथा उस सार्वभौमिक राष्ट्र की एक वेबसाइट भी निगमित की गयी। इस सार्वभौमिक राष्ट्र की सम्वैधानिक संरचना पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित करी गयी। शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण आदि चारों जनसेवाओं को सामाजिक रूप से सुलभ कराने के लिए विद्यायोजना, उद्यमयोजना, ग्रामयोजना एवं स्वस्तियोजना को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। इन चारों सेवाओं को संचालित करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत ***'सत्धर्म सेवा संस्थान'*** *के नाम से एक ऐसी कम्पनी की स्थापना की गई, जो* ***'धर्म संस्थापक संघ'*** *के 9वें उद्देश्य की पूर्ति कर सके, जिसमें चारों मानवीय पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इन चारों पुरुषार्थों द्वारा ही गुण, धन, सुख, स्वास्थ्य प्राप्ति के मानवाधिकारों का प्रतिपादन होता है, तथा इन्हीं चारों मानवाधिकारों की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण आदि के रूप में चार जनाधिकारों का प्रतिपादन होता है। इन चारों मानवाधिकारों एवं चारों जनाधिकारों की संप्रतिष्ठा के लिए सत्धर्म सेवा संस्थान द्वारा सन् 2011 में एक निःशुल्क विद्यालय का शुभारम्भ किया गया, जिसका नाम* ***'सत्धर्म विद्यालय'*** *रखा गया। इस विद्यालय में 300 से भी अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। इस विद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा–प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान की ओर से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप करी जा रही है। जीविका सुलभ कराने तथा अन्य मौद्रिक समस्याओं को दूर करने तथा समाज में व्याप्त भयंकर शोषणकारी मौद्रिक व्याजप्रथा को समाप्त करने के लिए 10–10–2011 को* ***'सत्धर्म फायनेन्शियल सर्विस'*** *के नाम से एक मौद्रिक संस्था का शुभारम्भ किया गया, जो निर्व्याज ऋणसेवा प्रदान करने के लिए तभी से निरन्तर कार्यरत है। यह निर्व्याज ऋणसेवा मानवसमाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसप्रकार से शिक्षा एवं जीविका सुलभ कराने के दोनों प्रयासों का शुभारम्भ सत्धर्म सेवा संस्थान की ओर से हो चुका है, और वर्तमान में लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही कृषिसेवा आदि के माध्यम से रोजगार के नये अवसरों को जन्म देने हेतु सहकारी प्रणाली अपनाये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में हमारे द्वारा न्यायशील अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया गया, जिसमें अर्थशास्त्र के न्यायशील सिद्धान्तों को प्रकाशित किया गया। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के न्यायशील स्वरूप का प्रतिपादन समाहित किया गया, तथा अर्थव्यवस्था की पाँचों आर्थिक क्रियाओं के न्यायशील स्वरूप का परिचय दिया गया। न्यायधर्मसभा, हरिद्वार की ओर से दिनांक 15 अगस्त, 2012 को उसी न्यायशील अर्थशास्त्र में वर्णित मौद्रिक नीति के अन्तर्गत* ***'आंकिक मुद्रा प्रणाली'*** *(Digital Currency System) को राष्ट्रीय व्यवस्था में लागू करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री मनमोहनसिंह एवं अन्य 12 महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों जिसमें वित्तमन्त्री, राष्ट्रपति, रिजर्वबैंक गवर्नर, योजनाआयोग के उपाध्यक्ष एवं*

सुविख्यात समाजसेवी श्री अन्नाहजारे, श्री केजरीवाल, सुश्री किरनबेदी, बाबा रामदेव एवं आरएसएस कार्यकर्ता श्री अनिलवर्मा आदि को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर यह निवेदन प्रस्तुत किया गया कि ***भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों*** *को 100% समाप्त करने के लिए इस सुनिश्चित उपाय को यथाशीघ्र राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में समाहित करें, जिससे कि राष्ट्र में व्याप्त भयंकर मौद्रिक अपराधों को समाप्त किया जा सके, क्योंकि प्रायः भारत सहित सम्पूर्ण विश्व इन पाँचों प्रकार के भयंकर मौद्रिक अपराधों से ग्रस्त एवं त्रस्त है। इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास कुंठित हो रहा है। इसके पश्चात् मौद्रिक नीति के द्वितीय अंग को भी राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में समाहित करने के लिए न्यायधर्मसभा की ओर से अक्टूबर, 2012 में मौद्रिक नीति पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जो धर्मसंस्थापकसंघ के उसी* ***'न्यायशील अर्थशास्त्र'*** *नामक ग्रन्थ पर आधारित है। इस पुस्तिका का नाम है–* ***'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली'*** *(Balanced Monetary Liquidization System)। यह पुस्तिका मौद्रिक नीति के उस न्यायशील सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है, जिसके अनुसार किसी भी मूल्यवान स्थूल सम्पदा जिसका कोई बाजारमूल्य सिद्ध हो सके, उसके बाजारमूल्य के समकक्ष राशि तक तरलीकृत किया जा सकता है। इस सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या इस पुस्तिका में सुलभ है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को शुद्ध करके राष्ट्र के आर्थिक विकास की समस्त संभावनाओं को अल्पकाल में हस्तगत किया जा सकता है। इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को अपनानेवाली राष्ट्रीय मौद्रिक नीति एक जादू की छड़ी की भाँति सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ईश्वर का वरदान सिद्ध हो सकती है, जो किसी भी राष्ट्र को विदेशी ऋणसंकट, विदेशी निवेशसंकट, देशी ऋणसंकट, देशी निवेशसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों से छुटकारा दिलाने में पूर्णतः समर्थ है। यह किसी भी राष्ट्र को मौद्रिक रूप से स्वावलम्बी बनाती है, तथा उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करती है। इसके पश्चात् निर्भार मुद्राप्रचालन हेतु न्यायधर्मसभा की ओर से राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में न्यायशीलता की प्रतिष्ठा हेतु एक अद्भुत पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है, जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को शुद्ध करके न्यायशील बनाने में पूर्णतः समर्थ है। इस निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली के अवलम्बन से समस्त प्रकार के मौद्रिक शोषणों का समापन हो जाता है। मौद्रिक शोषण से मुक्ति के लिए यह अचूक उपाय है। इस मौद्रिक नीति को अपनाकर कोई भी राष्ट्र सभ्य होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र से जंगलराज को समाप्त करके मंगलराज में प्रवेश हेतु उपरोक्त तीनों मौद्रिक नीतियाँ अत्यन्त प्रभावकारी हैं। राष्ट्रीय मौद्रिक नीति की शुद्धिकरण हेतु उनकी न्यायशीलता आवश्यक है। मौद्रिक नीतियों का यह न्यायशील प्रतिपादन 'न्यायधर्मसभा' की ओर से विश्व के समस्त राष्ट्रों के लिए ईश्वरीय वरदान की भाँति है। इन न्यायशील मौद्रिक नीतियों के प्रतिपादन के पश्चात् इनके प्रतिष्ठापन सम्बन्धी प्रयासों का संचालन भी न्यायधर्मसभा की ओर से किया जा रहा है।*

इन न्यायशील मौद्रिक नीतियों के प्रतिपादन एवं प्रतिष्ठापन के प्रयासों के अतिरिक्त न्यायधर्मसभा द्वारा राष्ट्रीय न्यायशीलता के रक्षणार्थ राजकोषीय नीति एवं सम्पदानीति के न्यायशील स्वरूप के प्रतिपादन एवं प्रतिष्ठापन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को न्यायशील बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का न्यायशील होना आवश्यक है।

(न्यायमेव जयते)

न्याय धर्म सभा

('धर्म संस्थापक संघ' रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा संचालित)

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल)-249408

'न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः'

आरम्भो न्याययुक्तो यः स धर्मः इति स्मृतः।
अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम्।।

फोन : 01334-244760
मो0 : 09319360554

समुचित अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्धारण रुपी न्यायधर्म के पुनर्स्थापन एवं संरक्षण हेतु समर्पित एक संस्था

संदर्भ : .... दिनांक : ....

<u>Copy of letter sent to Prime Minister and other 12 important persons.</u>

Ref : 35/2012-15 **Date : 15-08-2012**

(पत्र का हिन्दी रुपान्तर)

प्रति,
श्री मनमोहन सिंह जी
माननीय प्रधानमन्त्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : राष्ट्र में भ्रष्टाचार, कालाधन और नकलीमुद्रा की समस्या को समाप्त करने हेतु 'डिजिटल करेन्सी' प्रचालन के लिए निवेदन.

महोदय,

हम आपका ध्यान कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा देश में भ्रष्टाचार और कालाधन के विरुद्ध चलाए जा रहे बड़े अभियानों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वास्तव में देश का आम नागरिक और सरकारें भी भ्रष्टाचार और कालेधन की विकट समस्याओं से ऊब चुकी हैं। यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी इन समस्याओं के कारण अधिक नुकसान हुआ है। केवल यही दोनों समस्याएँ भयंकर नहीं है, बल्कि नकली मुद्रा की समस्या भी देश में एक विकराल रुप ले चुकी है।

अब हमें कई समाचारपत्रों के माध्यम से पता चला है कि सरकार कुछ देशी एवं विदेशी अपराधियों और आतंकवादियों के गिरोहों द्वारा फैलाई गयी नकली मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए 'प्लास्टिक मुद्रा' चलाने जा रही है।

यदि हम अपने देश का आर्थिक विकास चाहते हैं, तो उपरोक्त भ्रष्टाचार, कालाधन एवं नकली मुद्रा की तीनों समस्याएँ शीघ्र सुलझाए जाने की आवश्यकता है। किन्तु ये समस्याएँ इतनी जटिल है कि दण्डसंहिता के माध्यम से भी इसका समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि दण्डसंहिता केवल व्यक्ति को दण्डित करती है, किन्तु समस्या को समाप्त नहीं करती। गाँधी जी कहते थे-**'पाप से घृणा करो पापी से नहीं।'** अतः हमें उन **कारणों** के समाधान की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार, कालाधन एवं नकलीमुद्रा की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। वास्तव में कारण को हटाए जाने की आवश्यकता है, न कि व्यक्ति को दण्डित किए जाने की। शासनिक पदों पर भ्रष्टाचार का मौलिक कारण अपात्र लोगों की नियुक्ति है, क्योंकि पदों के लिए समुचित पात्रता की आवश्यकता होती है। यदि पदों के लिए वास्तविक रुप से आवश्यक पात्रता को धारण करनेवाले व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त किया जा सके, तो भ्रष्टाचार की समस्या निश्चय ही नहीं पनपेगी। परन्तु यदि ऐसा करना जल्दी में संभव न हो, तो इस दिशा में एक अच्छा सुझाव है- **अपने देश में डिजिटल करेन्सी का प्रचालन।** वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना बिल्कुल सरल और संभव है। आज हम इलेक्ट्रानिक युग में जी रहे हैं। राष्ट्र के लगभग प्रत्येक नागरिक के पास अपना इलेक्ट्रानिक मोबाइल फोन है। धन के आवागमन हेतु मोबाइल फोन के अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण भी सरलतापूर्वक प्रत्येक गाँव में लगाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक दुकानदार भी ऐसा आवश्यक उपकरण अपनी दुकान में लगा सकता है और सरकार ऐसे उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा सकती है।

इसलिए, हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि राष्ट्र में कागजी, प्लास्टिक या धातुमुद्रा के स्थान पर डिजिटल करेन्सी का प्रचालन किया जाए। यह डिजिटल करेन्सी निश्चय ही भ्रष्टाचार, कालाधन और बाजार में नकलीमुद्रा की समस्या को समाप्त कर देगी। कोई भी समझदार व्यक्ति इन तीनों समस्याओं के समाधान के हेतु डिजिटल

न्याय निवेदन

हे प्रभो! सतबुद्धि दो,
समता सदा मन में पले।
न्याय सामंजस्य का,
दीपक सदा जग में जले।।
रंग लिंग प्रजाति में,
सर्वत्र सम व्यवहार हो।
न्यायशील समाज हो,
सबको उचित अधिकार हो।।
अर्थ में संस्कार में,
व्यवहार में भी न्याय हो।
आत्महित सबका सधे,
शुभ न्याय का समुदाय हो।।
न्याय ही आधार हो,
विधि के उचित निर्माण का।
राष्ट्रधर्म यही सदा है,
न्यायपथ कल्याण का।।
इस धरा पर हे प्रभो!
शुभ न्याय का विस्तार हो,
तज विषमता भेद मानव,
में परस्पर प्यार हो।।

सभा के उद्देश्य

भारतसहित सम्पूर्ण विश्व में -

1) न्यायधर्म का पुनर्स्थापन एवं संरक्षण।
2) प्रत्येक व्यक्ति को गुण, धन, सुख, स्वरति की प्राप्ति के न्यायशील मानवाधिकार सुलभ कराना। इसके लिए राष्ट्र में शिक्षा, आजीविका, सुखसुविधा एवं संरक्षण प्राप्ति का जनाधिकार प्रतिष्ठित करना।
3) सम्पूर्ण मानवसमाज में न्यायनीति की स्थापना द्वारा राजनीति का उन्मूलन करना।
4) समस्त सरकारों की आर्थिक, सांस्कारिक, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक नीतियों को न्यायशील बनाना।
5) सुयोग्य सरकारों के गठन हेतु लोकनेतृत्व के लिए समुचित वरीयतात्मक लोकपंचायत प्रणाली को स्थापित करना।
6) राष्ट्र के पंचायती ढाँचे का गठन करना: जैसे-ग्रामपंचायत, प्रभागपंचायत, प्रदेशपंचायत, देशपंचायत तथा विश्वपंचायत।
7) पारस्परिक सामंजस्य की स्थापना हेतु एक ही न्यायशील संविधान का निर्माण, एक ही मुद्रा का संचालन, एक ही सर्वमान्य भाषा का निर्धारण, एक ही राष्ट्रीयता का निर्धारण, एक ही बैंकिंग प्रणाली, एक ही सेना का गठन, एक ही वैश्विक सरकार का गठन, एक ही न्यायालय का निर्धारण, एक ही विधायिका का निर्धारण आदि।
8) एक ही न्यायशील नागरिकता को स्थापित करना, जिससे 'विश्व-बन्धुत्व' एवं 'वसुधैव-कुटुम्बकम्' का जन्म हो सके।
9) न्यायधर्म की स्थापना द्वारा धरती पर चल रहे सीमाविवाद, आतंकवाद, हथियारों की होड़, आक्रमण, युद्ध, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न, दलन, दमन, शोषण आदि अनेक प्रकार की भीषण परिस्थितियों को समाप्त करके विश्वमानवसमुदाय को अशिक्षा, अनाजीविका, असुविधा एवं असुरक्षा से मुक्ति दिलाना।
10) न्यायशील समाजव्यवस्था की स्थापना द्वारा विश्वसमृद्धि, विश्वप्रगति, विश्वशान्ति एवं विश्वकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना तथा सात्विक जीवनमूल्यों, सात्विक सभ्यताओं, सात्विक संस्कृतियों, सात्विक संसाधनों, सात्विक समादर्शों, सात्विक परम्पराओं, सात्विक प्रथाओं की रक्षा करना।
11) न्यायव्यवस्था की स्थापना द्वारा प्रदूषित मान्यताओं, प्रदूषित सिद्धान्तों, प्रदूषित प्रथाओं, प्रदूषित परम्पराओं आदि समस्त प्रदूषित आचारों-व्यवहारों को दूर करना।
12) व्यक्तितन्त्र, वंशतन्त्र, दलतन्त्र इत्यादि राजतांत्रिक प्रणालियों के स्थान पर न्यायशील लोकतन्त्र को स्थापित करना जिसमें व्यक्तियों की गुणवत्ता, योग्यता, क्षमता, कौशल के आधार पर पदनियुक्ति होती है।

वेबसाइट : www.nyayadharmsabha.org ईमेल : info@nyayadharmsabha.org